अध्याय I
राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध

राज्य का प्रोफाइल

राजस्थान, भौगोलिक क्षेत्रफल (342.24 हजार वर्ग किमी.) की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा जनसंख्या की दृष्टि से आठवां राज्य है। यह देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। राज्य की वर्ष 2001 की जनसंख्या जो 5.65 करोड़ थी वर्ष 2011 में 21.44 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज करते हुये 6.85 करोड़ हो गई, जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि 17.64 प्रतिशत थी। ***(परिशिष्ट 1.1)*** गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 14.7 था जोकि अखिल भारतीय औसत 21.9 प्रतिशत से कम था। वर्ष 2013-14 में वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ₹ 5,13,688 करोड़ (अग्रिम अनुमान) था। इसी अवधि के दौरान साक्षरता दर 60.4 प्रतिशत (जनगणना 2001) से बढ़कर 66.1 प्रतिशत (जनगणना 2011) हो गई जो कि सम्पूर्ण भारत के औसत 73 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशतता बिन्दु कम थी। राष्ट्रीय औसत आय ₹ 74,859 की तुलना में राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय ₹ 65,098[1] है। राज्य से सम्बन्धित सामान्य आँकड़े ***परिशिष्ट 1.1*** में दिये गये हैं।

जीएसडीपी, राज्य में अधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि यह राज्य की आबादी के जीवन स्तर को इंगित करती है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एवं राज्य की जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर की प्रवृत्ति को **तालिका 1.1** में इंगित किया गया है:

तालिका 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी एवं जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भारत का जीडीपी[#] (₹ करोड़ में)	61,08,903	72,48,860	83,91,691[2]	93,88,876[3]	1,04,72,807[4]
जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	15.2	18.7	15.8	11.9	11.5
राज्य का जीएसडीपी[*] (₹ करोड़ में)	2,65,825	3,38,348	4,03,422[5]	4,59,215[6]	5,13,688[4]
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	15.1	27.3	19.2	13.8	11.9

स्रोत: # सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार एवं
* आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

1 स्त्रोत: आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार
2 द्वितीय संशोधित अनुमान
3 प्रथम संशोधित अनुमान
4 अग्रिम अनुमान
5 प्रावधिक अनुमान
6 त्वरित अनुमान

राजस्थान ने वर्ष 2010-14 की अवधि के दौरान, भारत की जीडीपी की वृद्धि दर की तुलना में, अधिक जीएसडीपी वृद्धि दर प्राप्त की। तथापि वर्ष 2010-14 की अवधि के दौरान जीडीपी एवं जीएसडीपी की वृद्धि दर में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी। जीएसडीपी की वृद्धि दर इस अवधि में 27.3 प्रतिशत से गिरकर 11.9 प्रतिशत रह गयी।

1.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्थान सरकार के वित्त प्रबन्ध के व्यापक परिदृश्य को प्रस्तुत किया गया है तथा गत पाँच वर्षों की सभी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय समग्रों में दृष्टिगत् परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है। राज्य सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे शामिल होते हैं। वित्त लेखों के नये प्रारूप जो कि वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ किये गये, को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। खण्ड I में सरकार के सारांशीकृत वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया गया है जबकि खण्ड II में विस्तृत वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया गया है। सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप को ***परिशिष्ट 1.2 (भाग अ)*** में स्पष्ट किया गया है तथा वित्त लेखों की रूपरेखा (स्वरूप) ***परिशिष्ट 1.2 (भाग ब)*** में दर्शायी गयी है।

1.2 वर्ष 2013-14 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

निम्न तालिका 1.2 में गत वर्ष (2012-13) की तुलना में चालू वर्ष (2013-14) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय संव्यवहारों के सारांश को प्रस्तुत किया गया है, जबकि ***परिशिष्ट 1.4*** में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के सार को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.2: वर्ष 2013-14 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2012-13	**2013-14**		**2012-13**	**2013-14**
अनुभाग-अ: राजस्व					
कर राजस्व	30,502.65	33,477.70	सामान्य सेवायें	20,495.80	23,339.22
कर-भिन्न राजस्व	12,133.59	13,575.25	सामाजिक सेवायें	25,292.94	31,486.09
संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा	17,102.85	18,673.07	आर्थिक सेवायें	17,408.02	20,435.59
भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	7,173.92	8,744.36	सहायतार्थ-अनुदान एवं अंशदान	265.03	248.69
योग अनुभाग-अ राजस्व प्राप्तियाँ	**66,913.01**	**74,470.38**	**योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय**	**63,461.79**	**75,509.59**

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2012-13	2013-14		2012-13	2013-14
अनुभाग-ब: पूँजीगत एवं अन्य					
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	8.12	10.27	पूँजीगत परिव्यय	10,683.57	13,664.66
कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1,101.56	315.53	संवितरित कर्जे तथा अग्रिम	2,411.83	811.21
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	9,955.00	14,491.44	लोक ऋण की पुनर्अदायगी *	4,706.72	4,115.62
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ[7]	1,56,563.24	1,07,978.58	लोक लेखा संवितरण[7]	1,50,175.41	1,05,605.40
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	9,785.11	12,886.72	अन्तिम रोकड़ शेष	12,886.72	10,446.44
योग अनुभाग-ब प्राप्तियाँ	**1,77,413.03**	**1,35,682.54**	**योग अनुभाग-ब संवितरण**	**1,80,864.25**	**1,34,643.33**
महा योग (अ+ब)	**2,44,326.04**	**2,10,152.92**	**महा योग (अ+ब)**	**2,44,326.04**	**2,10,152.92**

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

*** मार्गोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत किये निवल संव्यवहारों के अलावा**

वर्ष 2013-14 के राजकोषीय संचालन के मुख्य बिन्दुओं को नीचे दिया गया है:

- राजस्व प्राप्तियाँ में गत वर्ष की तुलना में ₹ 7,557.37 करोड़ (11 प्रतिशत) की वृद्धि, स्व-कर राजस्व: ₹ 2,975.05 करोड़ (10 प्रतिशत), कर-भिन्न राजस्व: ₹ 1,441.66 करोड़ (12 प्रतिशत), संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश: ₹ 1,570.22 करोड़ (9 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान: ₹ 1,570.44 करोड़ (22 प्रतिशत) के कारण हुई। तथापि, राजस्व प्राप्तियाँ मध्यकालिक राजकोषीय नीति प्रविवरण (एमटीएफपीएस) 2013-14 में किये गये आंकलन से ₹ 2,750.22 करोड़ कम रही।

- राजस्व व्यय में ₹ 12,047.80 करोड़ (19 प्रतिशत)[8] की वृद्धि मुख्यत: सामान्य सेवा क्षेत्र (₹ 2,843.42 करोड़), सामाजिक सेवा क्षेत्र (₹ 6,193.15 करोड़) एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 3,027.57 करोड़) के अन्तर्गत हुई । तथापि, यह वर्ष के लिए एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 685.15 करोड़ कम रही।

[7] **तालिका 1.2** में लोक लेखा प्राप्तियों/संवितरण की राशि सकल रूप में दर्शाई गई है, जबकि अन्य तालिकाओं/पैराग्राफों में इन्हें निवल आधार पर दर्शाया गया है।

[8] इसमें सहायतार्थ-अनुदान एवं अंशदान में रही ₹ 16.34 करोड़ की कमी शामिल है।

- पूँजीगत परिव्यय में ₹ 2,981.09 करोड़ (28 प्रतिशत) की वृद्धि, सामान्य सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 84.81 करोड़ से, सामाजिक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 1,711.22 करोड़ से एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 1,185.06 करोड़ से हुई।

- लोक ऋण प्राप्तियों (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अलावा) में ₹ 4,536.44 करोड़ (46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि लोक ऋण की पुनर्अदायगी में ₹ 591.10 करोड़ (13 प्रतिशत) की कमी हुई।

- लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं संवितरण में क्रमशः ₹ 48,584.66 करोड़ (31 प्रतिशत) एवं ₹ 44,570.01 करोड़ (30 प्रतिशत) की कमी हुई।

- रोकड़ शेष में ₹ 2,440.28 करोड़ (19 प्रतिशत) की कमी हुई।

1.2.1 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राज्य में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबन्धन सुनिश्चित करने और राजवित्तीय स्थिरता को बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम 2005' (2011 में संशोधित) अधिनियमित किया गया। अधिनियम में राजकोषीय स्थिरता के साथ संगत राजस्व घाटे के उत्तरोतर विलोपन, राजकोषीय घाटे में कमी एवं विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन की परिकल्पना की गई है। राजवित्तीय विवेक सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में सरकार की वित्तीय संक्रियाओं में अधिक राजवित्तीय पारदर्शिता लाने तथा मध्यकालिक प्रारूप में राजवित्तीय नीति संचालन करने और उससे सम्बद्ध मामलों हेतु भी प्रावधान है। अधिनियम में प्रावधित राजकोषीय प्रबन्ध सिद्धान्तों एवं उनके अधीन बनाये नियमों द्वारा राज्य सरकार के लिए निम्नलिखित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं:

- वित्तीय वर्ष 2011-12 से राजस्व घाटे को शून्य करने के लक्ष्य को प्राप्त करना और उसके बाद उसे बनाये रखना अथवा राजस्व अधिशेष लक्ष्य की प्राप्ति;

- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत तक करना, तत्पश्चात् उक्त अनुपात को बनाये रखना या इसमें कमी करना;

- वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए कुल बकाया ऋण को जीएसडीपी के क्रमशः 39.3, 38.3, 37.3 और 36.5 प्रतिशत तक सीमित रखना;

- राज्य वित्त व्यवस्था एवं संबद्ध राजकोषीय युक्तियों की संभाव्यता से संबंधित वार्षिक विवरण की प्रस्तुति करना।

बजट में दिये गये मुख्य राजकोषीय चरों, जो कि तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित एवं राज्य के एफआरबीएम अधिनियम में लक्षित थे, को निम्न **तालिका 1.3** में प्रदर्शित किया गया है:

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय लक्ष्य एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

राजकोषीय चर	2013-14		
	एफआरबीएम अधिनियम/ तेरहवें वित्त आयोग में निर्धारित लक्ष्य	बजट/ एमटीएफपीएस में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक प्राप्तियाँ
राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	0.00	1,026	(-) 1,039
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	3.0 या कम	2.48	2.96
सरकार के कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	37.3	25.0	25.3

बकाया ऋण एवं राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का क्रमश: 25.3 प्रतिशत एवं 2.96 प्रतिशत रहा, जोकि निर्धारित सीमा के अन्तर्गत था। फिर भी, वास्तविक राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का 2.96 प्रतिशत), बजटरी लक्ष्य (जीएसडीपी का 2.48 प्रतिशत) से अधिक रहा। वर्ष 2013-14 के दौरान वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से कम होने के कारण राज्य सरकार राजस्व अधिशेष को नहीं बनाये रख सकी। राजस्व व्यय की वृद्धि दर, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर से अधिक, मुख्यतया वृद्धजन पेंशन योजना के व्ययों में वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षा की नई योजनाओं से बजट व्ययों में वृद्धि के कारण रही।

1.2.2 बजट अनुमान एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट प्रपत्र किसी विशेष वित्त वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा व्यय के आंकलनों अथवा अनुमानों का विवरण उपलब्ध कराते हैं। समग्र आर्थिक प्रबन्धन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के संदर्भ में, प्राप्तियों एवं व्यय के आंकलन में सटीकता के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन, वांछित राजकोषीय लक्ष्यों की अप्राप्ति/गैर अनुकूलन का सूचक है जो कि विभिन्न कारणों यथा कुछ के सरकार के नियंत्रणाधीन एवं कुछ के सरकारी नियंत्रण से बाहर होने के कारण होता है।

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमानों के साथ वास्तविक आंकड़ों की तुलना नीचे **तालिका 1.4** में एवं ***परिशिष्ट 1.6*** में की गई है।

तालिका 1.4: 2013-14 के लिये बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय पैमाने	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अन्तर
1	2	3	4 (3-2)
कर राजस्व	34,053	33,478	(-) 575
कर-भिन्न राजस्व	12,655	13,575	920
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	20,361	18,673	(-) 1,688
भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	10,152	8,745	(-) 1,407
राजस्व प्राप्तियाँ	77,221	74,471	(-) 2,750
राजस्व व्यय	76,195	75,510	(-) 685
ब्याज अदायगियाँ	9,241	9,063	(-) 178
पूँजीगत व्यय	14,056	13,664	(-) 392
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	(+) 1,026	(-) 1,039	(-) 2,065
राजकोषीय घाटा (-)	(-) 13,020	(-) 15,189	(-) 2,169
प्रारम्भिक घाटा (-)	(-) 3,779	(-) 6,126	(-) 2,347

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रलेख

महत्त्वपूर्ण मापदण्डों का लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्न प्रकार है:

1.2.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ

बजट अनुमानों से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,750 करोड़ (3.6 प्रतिशत) की कमी मुख्यत: राज्य कर राजस्व (संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश सहित) में ₹ 2,263 करोड़ (4.2 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान में ₹ 1,407 करोड़ (13.9 प्रतिशत) की गिरावट होने के कारण रही। कर राजस्व की लगभग सभी श्रेणियों में प्राप्तियां (बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, भू-राजस्व तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर के अलावा) बजट अनुमानों से कम रही। तथापि कर-भिन्न राजस्व, बजट अनुमान से ₹ 920 करोड़ (7.3 प्रतिशत) अधिक रहा। मुख्य कर-भिन्न राजस्व, जैसे पैट्रोलियम से रायल्टी तथा ब्याज प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रही।

1.2.2.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय में बजट अनुमानों से ₹ 685 करोड़ की कमी मुख्यत: 'बिजली' के अन्तर्गत व्यय में ₹ 2,165 करोड़ की एवं 'सामान्य शिक्षा' के अन्तर्गत व्यय में ₹ 898 करोड़ की गिरावट के कारण रही। दूसरी ओर सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अन्तर्गत व्यय में ₹ 1,423 करोड़ के बजट अनुमानों की तुलना में ₹ 2,402 करोड़ (168.8 प्रतिशत) की वृद्धि देखी गई। यह वृद्धजन व्यक्तियों को

पेंशन[9] तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों इत्यादि को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारम्भ की गई नई योजनाओं/नवाचार[10] के अन्तर्गत अधिक व्यय किये जाने के कारण हुई।

1.2.2.3 घाटे

₹ 1,026 करोड़ के राजस्व अधिशेष के लक्ष्य की तुलना में ₹ 1,039 करोड़ का राजस्व घाटा[11] रहा। यह बजट में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम राजस्व प्राप्तियों के कारण रहा। आगे, राजकोषीय घाटा[12] एवं प्रारम्भिक घाटा[13] बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः ₹ 2,169 करोड़ एवं ₹ 2,347 करोड़ बढ़े।

1.2.2.4 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2013-14 के दौरान पूँजीगत व्यय में बजट अनुमानों की तुलना में 2.8 प्रतिशत (₹ 392 करोड़) की कमी, मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय में शहरी विकासः ₹ 390 करोड़, मुख्य सिंचाईः ₹ 234 करोड़, लोक निर्माण कार्यः ₹ 143 करोड़, लघु सिंचाईः ₹ 103 करोड़ एवं सिंचित क्षेत्र विकास पर ₹ 84 करोड़ के अन्तर्गत हुई जो कि सड़कों तथा सेतुओं: ₹ 333 करोड़, सड़क परिवहनः ₹ 125 करोड़ एवं जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्ययः ₹ 202 करोड़ में वृद्धि से प्रतिसन्तुलित हुयी।

1.2.3 अनुमोदन न होने एवं निधियों की अनुपलब्धता के कारण केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रमों/योजनाओं का अवरूद्ध होना

पंचवर्षीय योजना में राज्यों हेतु उनकी विकासात्मक योजनाओं के वित्त पोषण हेतु केन्द्रीय सहायता पर विचार किया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान 329 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं/कार्यक्रमों पर हुए व्यय की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि ₹ 2,530.60 करोड़ का व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा विश्लेषण में प्रकट हुआ कि वर्ष 2013-14 के दौरान 329 योजनाओं/कार्यक्रमों में से 31 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में ₹ 181.84 करोड़ ***(परिशिष्ट 1.14)*** के बजट अनुमान के विरूद्ध व्यय नहीं किया गया। इन 31 योजनाओं में सम्मिलित 12 विभागों की 25 योजनाओं ***(परिशिष्ट 1.14)*** में शून्य व्यय के लिए विभिन्न कारण जैसे भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अंश जारी नहीं

9 बजट अनुमानः ₹ 400 करोड़: वास्तविक व्ययः ₹ 1,970.69 करोड़।

10 बजट अनुमानः ₹ 3,000 मात्र: वास्तविक व्ययः ₹ 713.44 करोड़।

11 राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ

12. राजकोषीय घाटा = राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ

13 प्रारम्भिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान

करना, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होना, राज्य सरकार द्वारा राज्य अंश की स्वीकृति/ जारी नहीं करना, अध्यापक शिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदन नहीं देना, राज्य द्वारा भारत सरकार से निधियों की मांग नहीं करना इत्यादि शामिल हैं। पाँच विभागों से शेष रही 6 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं/कार्यक्रमों ***(परिशिष्ट 1.14)*** का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

1.2.4 जेंडर बजटिंग

जेंडर रिस्पानसिव बजटिंग (जीआरबी) यह सुनिश्चित करने का एक साधन है कि जन-संसाधनों का न्यायसंगत रूप से विनिधान किया गया है ताकि विशेष जेंडर समूहों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। राजस्थान सरकार ने 2009-10 के बजट भाषण के दौरान जीआरबी तैयार करने की घोषणा की, ताकि प्रत्येक विभाग के बजट का जेंडर आधारित विश्लेषण हो सके। तद्नुसार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन (अगस्त 2009) किया गया एवं सितम्बर 2009 में महिला एवं बाल विकास विभाग में एक जेंडर प्रकोष्ठ का गठन किया गया। जीआरबी के कार्यो एवं उद्देश्यों में से एक, सरकार के बजट में योजनाओं का इस प्रकार समेकन करना था कि जेंडर आधारित विश्लेषण में सुविधा रहे। यही नहीं, अगस्त 2010 के दौरान विभिन्न विभागों में विभिन्न जीआरबी प्रस्तावों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से जेंडर डेस्कों का भी गठन किया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से, बजट अनुमान तैयार करने के लिए नयी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में, जेंडर बजट प्रविवरण का समावेश करने का निर्णय लिया (अगस्त 2011)।

राज्य में जेंडर बजटिंग का विनियमन राज्य बजट नियमावली (एसबीएम) के अनुच्छेद 13.27 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। वार्षिक जेंडर बजट प्रविवरण तैयार करने के लिए, निर्दिष्ट विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जानकारी, वित्त विभाग द्वारा जारी बजट परिपत्र में दिए गए प्रारूप में, प्रदान की जानी है। यह प्रारूप महिला उन्मुख आयोजना योजनाओं/कार्यक्रमों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।:

अ	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 70 प्रतिशत से अधिक व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये
ब	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत के मध्य व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये
स	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत के मध्य व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये
द	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत से कम व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये

स्रोतः राज्य बजट नियमावली (भाग-।), राजस्थान सरकार

उपरोक्तानुसार वर्ष 2013-14 के दौरान श्रेणी-वार आवंटन का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	आवंटन
अ	3,262.82
ब	18,832.71
स	980.81
द	60.62

स्रोत: बजट प्रपत्र, राजस्थान सरकार

तीन योजनाओं, यथा कृषि शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन, मिशन ग्राम्य शक्ति एवं सशर्त प्रसूति लाभ योजना, की समीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

(i) कृषि विभाग

वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग ने 'कृषि शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन' योजना को चिन्हित किया। इसका उद्देश्य कृषि में 10+2 पढ़ने वाली बालिकाओं को ₹ 5,000, कृषि में स्नातक एवं स्नातकोत्तर करने वाली बालिकाओं को ₹ 10,000 एवं कृषि में पीएचडी करने वाली बालिकाओं को ₹ 15,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना था। यह प्रकट हुआ कि ₹ 4.50 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में विभाग ने 6,485 बालिकाओं को लाभ पहुँचाने के लिए ₹ 3.73 करोड़ (82.9 प्रतिशत) का उपयोग किया। इस प्रकार, ₹ 0.77 करोड़ कम उपयोग किये गये। कम व्यय के लिए स्कूल इंचार्जों द्वारा जिला अधिकारियों को आवेदनों के प्रेषण में विलम्ब एवं छात्राओं के बैंक खातों में निधियों के ऑनलाइन हस्तान्तरण में समय लगना, कारण बताया गया।

(ii) महिला एवं बाल विकास विभाग

विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान दो योजनाओं (i) मिशन ग्राम्य शक्ति एवं (ii) सशर्त प्रसूति लाभ योजना को जेंडर के लिए संवेदनशील तथा उत्तरदायी के रूप में चिन्हित किया गया। नमूना जाँच में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- मिशन ग्राम्य शक्ति योजना का उद्देश्य, स्वयं सहायता समूहों का संकुल बनाना, क्षमता निर्माण तथा हाथों में हाथ के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाना और महिलाओं के सशक्तिकरण के व्यापक लक्ष्य के लिए आजीविका को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों के साथ सम्पर्क माध्यम बनाना था। यह देखने में आया कि इस उद्देश्य के लिये 2013-14 के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत से तीन महिला स्वयं सहायता समूहों का चयन किया गया। तथापि, ₹ 16.60 करोड़ का बजट अनुमान घटाकर मात्र ₹ 3,000 (अनुदान संख्या 30, 33 तथा 51 के अन्तर्गत प्रत्येक के लिये ₹ 1,000) कर दिया गया। आगे, यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों का चयन नहीं किये जाने के कारण व्यय नहीं किया गया।

- 'समन्वित बाल विकास सेवाओं' के अन्तर्गत ''सशर्त प्रसूति लाभ योजना'' को इस मूल लक्ष्य के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था कि गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं व उनके शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को सुधारा जा सके। यह योजना पहली दो जीवित सन्तानों वाली 19 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं हेतु थी। राज्य सरकार ने बजट अनुमानों में ₹ 39.19 करोड़ का प्रावधान किया था। इसे बाद में पुनर्विनियोजन के द्वारा घटाकर ₹ 17.51 करोड़ किया गया जिसके समक्ष ₹ 17.58 करोड़ का व्यय किया गया। (i) बैंक/पोस्ट आफिस में लाभार्थियों के खाते खोलने में समस्या (ii) भारत सरकार द्वारा तय शर्तों का पालन नहीं करने तथा (iii) जिला समन्वयक और सहायक समन्वयक के पदों का रिक्त रहने को इस घटत का कारण बताया गया।

मामला राज्य सरकार को भेजा गया (सितम्बर 2014), उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2014)।

1.2.5 बजट में प्रमुख नीतिगत पहल

सरकार ने 6 मार्च 2013 को वर्ष 2013-14 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय कई योजनाओं/नीतियों की घोषणा की। सम्बन्धित विभागों द्वारा सूचित की गई (जुलाई-सितम्बर 2014) प्रमुख नीतिगत पहलों एवं उन पर की गई कार्यवाही की स्थिति का सार नीचे **तालिका** में दिया गया है:

बजट भाषण का पैरा संख्या	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	आउटकॅम बजट[14] 2013-14 तथा विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार की गई कार्यवाही की स्थिति
36	ऊर्जा विभाग	₹ 100 करोड़ की लागत से 'रूफ टॉप पावर जनरेशन योजना' के अन्तर्गत सोलर सिटी के रूप में जोधपुर का विकास करना। इसके बाद, जयपुर तथा अजमेर शहरों को भी इस योजना में शामिल किया गया। (आउटकम बजट के अनुसार समय सीमा 31 मार्च 2014 थी)।	आउटकम बजट में राज्य आयोजना के अन्तर्गत 'रूफ टॉप पावर जनरेशन योजना' (जयपुर, अजमेर तथा जोधपुर) के तहत ₹ 100 करोड़ का परिव्यय परिकल्पित किया गया तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय को ₹ 150 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृति के लिये भेजे गये। इसके अतिरिक्त यह प्रकट हुआ कि ₹ 100 करोड़ की स्वीकृति के समक्ष वित्त विभाग ने बजट अनुमानों में ₹ 20 करोड़ प्रस्तावित किये लेकिन आवंटन नहीं किये गये। ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया (अगस्त 2014) कि

[14] राज्य सरकार द्वारा आउटकम बजट प्रलेख कार्यक्रमों के लक्ष्यों के समक्ष भौतिक एवं वित्तीय निष्पादनों के मूल्यांकन हेतु तैयार किये जाते है ।

बजट भाषण का पैरा संख्या	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	आउटकॅम बजट[14] 2013-14 तथा विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार की गई कार्यवाही की स्थिति
			योजना को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि इस उद्धेश्य के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया।
41	जल संसाधन विभाग	बीसलपुर (बनास पदी पर) के बहाव क्षेत्र में ₹ 500 करोड़ की लागत से इसरदा बाँध का निर्माण। (आउटकम बजट के अनुसार समय सीमा तीन वर्ष थी)	राज्य आयोजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में जयपुर और टोंक जिलों के गाँवों में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बाँध के निर्माण के लिए ₹ 24 करोड़ का परिव्यय आउटकम बजट में प्रावधित था। यद्यपि, राजस्थान प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल ने इसरदा पेजयल आपूर्ति योजना के लिए मई 2013 में राशि ₹ 530 करोड़ की अनुमानित लागत की स्वीकृति जारी की, जिला कलक्टर, टोंक द्वारा बाँध के निर्माण में काम आने वाली वन विभाग की भूमि के एवज में वैकल्पिक भूमि आवंटन नहीं की गयी।
48	जल संसाधन विभाग	₹ 650 करोड़ की लागत से इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, प्रथम फेज तथा भाँखड़ा परियोजना का जीर्णोद्धार।	आउटकम बजट में राज्य आयोजना के अन्तर्गत ₹ 76 करोड़ तथा ₹ 40 करोड़ क्रमशः इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा भाखड़ा परियोजना के लिए उपलब्ध कराये गये। इस संबंध में, दोनों परियोजनाओं के लिए वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान ₹ 110 करोड़ तथा संशोधित अनुमान ₹ 42 करोड़ की तुलना में केवल ₹ 31.83 करोड़ व्यय किया गया। कम व्यय का कारण कर्मचारियों के विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण स्वीकृतियाँ देरी से जारी होना था।
79	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (एसजेईडी)	बीपीएल परिवारों को निःशुल्क साड़ी एवं कम्बल वितरण की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त, 'निराश्रित संबल योजना' के अन्तर्गत साड़ी एवं कम्बल जरूरतमंद व्यक्तियों को भी प्रदान किये जाने थे। कुल लागत ₹ 300 करोड़ प्रस्तावित थी।	एसजेईडी के अन्तर्गत 'नवीन योजना/नवाचार' के लिए ₹ 737.45 करोड़ एवं 'निराश्रित संबल योजना' के लिए ₹ 1.65 करोड़ का परिव्यय वर्ष 2013-14 के लिए राज्य योजना में प्रावधित था। साड़ी एवं कम्बल की अधिक संख्या होने से निविदा/उत्पादन में प्रत्याशित समस्याओं के कारण, विभाग ने पात्र परिवारों को दो साड़ी तथा एक कम्बल खरीदने के लिए ₹ 1,500 की नकद सहायता देने की योजना क्रियान्वित की। पीआरआई एवं यूएलबी के माध्यम से नकद सहायता देने के द्वारा योजना के अन्तर्गत ₹ 490.04 करोड़ का व्यय किया गया।

बजट भाषण का पैरा संख्या	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	आउटकॅम बजट[14] 2013-14 तथा विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार की गई कार्यवाही की स्थिति
192	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय के सहयोग से विज्ञान एवं मनोरंजन के बारे में जागरूकता लाने के लिए ₹ 10 करोड़ की लागत से जोधपुर में एक साइंस सिटी की स्थापना की जावेगी।	यद्यपि, 14,645.58 वर्गमीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया एवं इस उद्देश्य के लिए ₹ 10 करोड़ आवंटित किये गये, विज्ञान संग्रहालय की राष्ट्रीय परिषद से स्वीकृति में देरी के कारण कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ तथा कोई व्यय नहीं किया गया।
196	उद्योग विभाग	कलड़वास (उदयपुर) औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत औषधि निर्माण जोन विकसित किया जावेगा। इस जोन में ₹ 700 करोड़ का निवेश आकर्षित करना था।	योजना का प्रारूप अगस्त 2014 में अनुमोदित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 2013-14 में योजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ।

मामला राज्य सरकार को भेजा गया (सितम्बर 2014), उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2014)।

1.3 राज्य के संसाधन

1.3.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

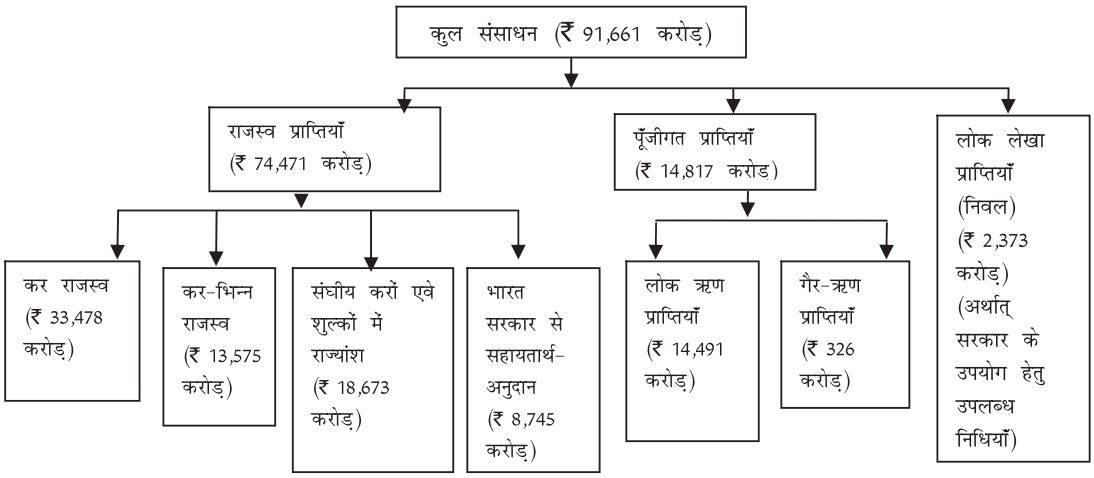
राज्य सरकार की प्राप्तियों को दो श्रेणियों राजस्व प्राप्तियों[15] एवं पूँजीगत प्राप्तियों[16] में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अपने घाटे की वित्त पूर्ति करने हेतु लोक लेखे में संवितरण के बाद उपलब्ध निधियों का भी उपयोग किया जाता है।

संसाधनों के घटकों तथा उप-घटकों को निम्नलिखित फ्लो चार्ट में प्रदर्शित किया गया है:

[15] राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल होते हैं।

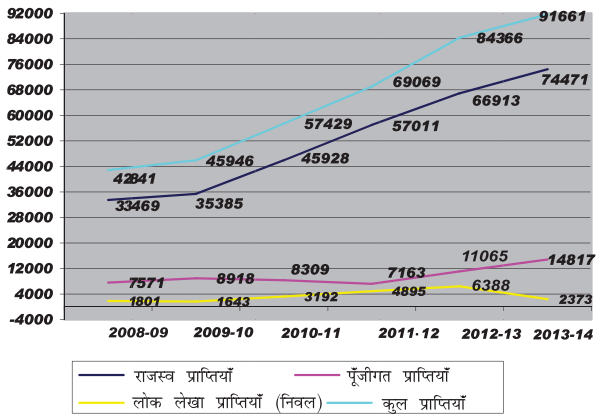
[16] पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, कर्जे और अग्रिमों की वसूलियाँ, आन्तरिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार से कर्जे, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से कर्जे और अग्रिम शामिल हैं।

संसाधनों के घटक तथा उप-घटक

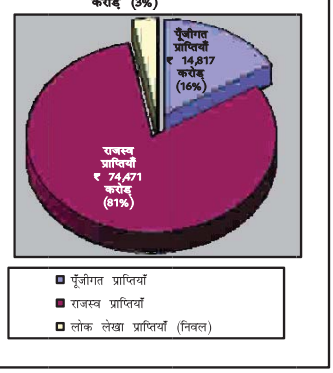


चार्ट 1.1, 2008-14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति दर्शाता है। **चार्ट 1.2**, चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।

चार्ट 1.1 प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)



चार्ट 1.2 2013-14 के दौरान प्राप्तियों का संयोजन (प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे

कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों के अलावा) 2008-09 में ₹ 42,841 करोड़ से 2013-14 में 114 प्रतिशत बढ़कर ₹ 91,661 करोड़ हो गई, उक्त अवधि के दौरान औसत वृद्धि दर 22.8 प्रतिशत रही। ये गत वर्ष की तुलना में ₹ 7,295 करोड़ (9 प्रतिशत) बढ़ी। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 81 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण **पैराग्राफ 1.4** में दिया गया है।

लोक लेखा प्राप्तियाँ ऐसी प्राप्तियाँ हैं जिनके लिये सरकार लोक निधि हेतु एक बैंकर/ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। ये वर्ष 2008-14 के दौरान कुल प्राप्तियों का औसतन 5 प्रतिशत थी।

वर्ष 2013-14 के दौरान लोक लेखा की निवल प्राप्तियाँ (₹ 2,373 करोड़) मुख्यत: अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि: ₹ 2,521 करोड़; आरक्षित निधि: ₹ 267 करोड़ के अन्तर्गत हुयी जो कि जमा तथा अग्रिम की निवल प्राप्तियों: ₹ 421 करोड़ की कम निवल प्राप्तियों से प्रतिसन्तुलित हुयी। आरक्षित निधियों का संक्षिप्त विश्लेषण **पैरा 1.10.4** में दिया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान गत वर्ष की तुलना में निवल लोक लेखा प्राप्तियों में ₹ 4,015 करोड़ (63 प्रतिशत) की गिरावट जमा तथा अग्रिम की निवल प्राप्तियों में ₹ 3,837 करोड़ की कमी के कारण हुयी।

पूँजीगत प्राप्तियाँ 19.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ 2008-09 में ₹ 7,571 करोड़ से 2013-14 में 96 प्रतिशत बढ़कर ₹ 14,817 करोड़ हो गई एवं वर्ष 2013-14 के दौरान कुल प्राप्तियों की 16 प्रतिशत रही। लोक ऋण प्राप्तियाँ जो कि पूँजीगत प्राप्तियों का मुख्य संघटक है गत वर्ष की तुलना में ₹ 4,536 करोड़ बढ़ीं। आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम ऋण प्राप्तियों के दो घटक है जो कि कुल ऋण प्राप्तियों का क्रमश: 98 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत थे। आन्तरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों में गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 46 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.3.2 राज्य बजट से बाहर राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को भारत सरकार द्वारा निधियों का अन्तरण

केन्द्रीय सरकार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में निधियाँ सीधे राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों[17] को अन्तरित करती आ रही हैं। क्योंकि इन निधियों का अन्तरण राज्य बजट/राज्य कोषालय के माध्यम से नहीं किया जाता है, अत: वार्षिक वित्त लेखे उस सीमा तक राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय तथा उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय चरों/पैमानों की सम्पूर्ण स्थिति को नहीं दर्शा पाते हैं जहाँ इन निधियों का प्रवाह है।

वर्ष के दौरान, ₹ 8,572 करोड़ की केन्द्रीय निधियाँ भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों/योजनाओं के लिये राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित की

[17] राज्य कार्यकारी एजेन्सियों में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए वे संगठन/संस्था सम्मिलित हैं जिसको राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है।

गई। इनमे से, कुछ मुख्य योजनाएं जहाँ निधियों को अन्तरित किया गया, निम्न प्रकार है:

ग्रामीण विकास[18] के लिए ₹ 4,484 करोड़ (52 प्रतिशत), सर्व शिक्षा अभियान के लिए ₹ 2,425 करोड़ (28 प्रतिशत) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए ₹ 631 करोड़ (7 प्रतिशत) अन्तरित किये गये। राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित निधियों का विवरण ***परिशिष्ट 1.7*** में प्रस्तुत किया गया है। यह दृष्टिगत हुआ कि कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित की गई निधियाँ (केन्द्रीय अंश) गत वर्ष (₹ 7,883 करोड़) की तुलना में ₹ 689 करोड़ बढ़ गया।

नीचे **तालिका 1.5** में अन्तरित निधियों में गत वर्ष की तुलना में हुई मुख्य कमी/वृद्धि को सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 1.5: कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित निधियों में कमी/वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वृद्धि			कमी		
क्र. सं.	**कार्यक्रमों/योजनाओं का नाम**	**राशि**	**क्र. सं.**	**कार्यक्रमों/योजनाओं का नाम**	**राशि**
1	*सर्व शिक्षा अभियान*	890	1	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	526
2	*इन्दिरा आवास योजना*	287	2	समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम	428
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	275	3	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	158
4	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	180	4	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	138
5	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	129	5	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	48
6	पुलिस आधुनिकीकरण योजना	58	6	अक्षय ऊर्जा	35
7	*स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना*	52			
8	प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास	44			
9	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	36			
10	ई-गवर्नेंस	29			
	योग	**1,980**		**योग**	**1,333**

स्रोत: वित्त लेखे

भारत सरकार द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि समस्त केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (सीएसएस) हेतु केन्द्रीय सहायता एवं एकमुश्त अनुदानों को राज्य

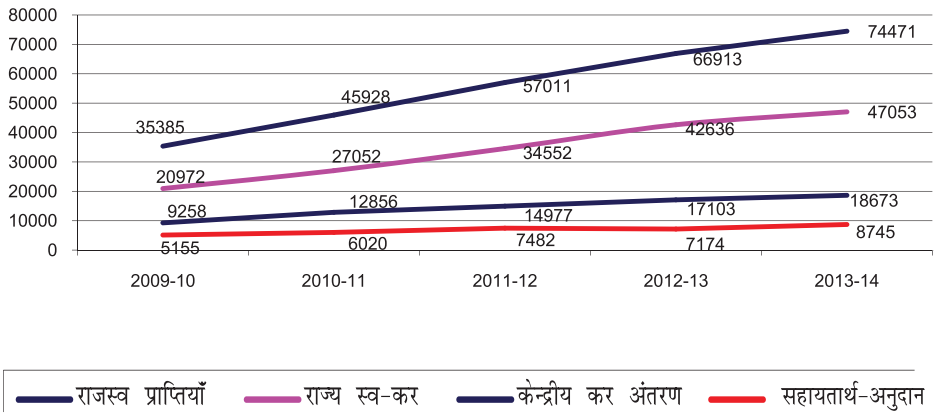
[18] इसमें ₹ 2,059 करोड़: महानरेगा, ₹ 1,248 करोड़: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ₹ 469 करोड़: इन्दिरा आवास योजना एवं ₹ 427 करोड़: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के शामिल है ।

आयोजना हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्गीकृत किया जावेगा यह भी निर्णय लिया गया है कि 2014-15 एवं इसके बाद केन्द्रीय सहायता राज्य की समेकित निधि के माध्यम से ही क्रमिक रूप से अन्तरित की जावेगी।

1.4 राजस्व प्राप्तियाँ

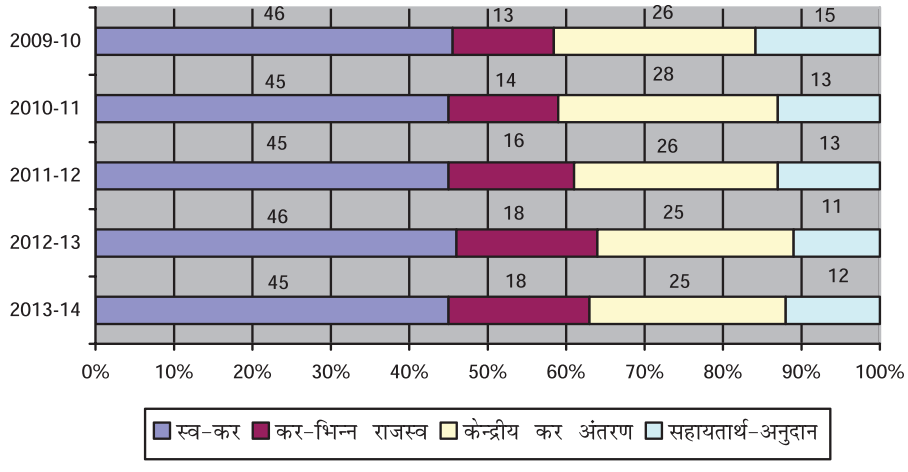
सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण वित्त लेखे के **विवरण-11** में दिया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल है। वर्ष 2009-14 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संयोजन को ***परिशिष्ट 1.3*** में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमशः नीचे **चार्ट 1.3** एवं **चार्ट 1.4** में भी दर्शाया गया है:

चार्ट 1.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.4 2009-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का संयोजन



स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियाँ 2009-10 में ₹ 35,385 करोड़ से 2013-14 में 110 प्रतिशत बढ़कर ₹ 74,471 करोड़ हो गई, उक्त अवधि के दौरान औसत वृद्धि दर 28 प्रतिशत रही।

2009-14 की अवधि के दौरान राजस्व का औसत 62 प्रतिशत राज्य के स्व-संसाधनों से आया। शेष भारत सरकार से संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं सहायतार्थ-अनुदान के रूप में आया।

राज्य के स्व-संसाधनों में कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व शामिल हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2009-14 की अवधि के दौरान 45 एवं 46 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि कर-भिन्न राजस्व का अंश 2009-10 में 13 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 18 प्रतिशत हो गया।

नीचे **तालिका 1.6** में जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति दर्शाई गयी हैं:

तालिका 1.6: जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	**35,385**	**45,928**	**57,011**	**66,913**	**74,471**
राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.7	29.8	24.1	17.4	11.3
राज्य स्व-कर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.8	26.5	22.3	20.2	9.8
राजस्व प्राप्ति/जीएसडीपी (प्रतिशत)	13.3	13.6	14.1	14.6	14.5
उत्प्लावकता अनुपात					
राजस्व उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	0.4	1.1	1.3	1.3	0.9
राज्य स्व-कर उत्प्लावकता जीएसडीपी के संदर्भ में	0.6	1.0	1.2	1.5	0.8
राजस्व उत्प्लावकता राज्य स्व-कर के संदर्भ में	0.6	1.1	1.1	0.9	1.2

स्रोत: वित्त लेखे

उत्प्लावकता अनुपात मूल परिवर्ती में किये गये परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय परिवर्ती की प्रतिक्रिया की मात्रा या लचीलापन दर्शाता है। यदि जीएसडीपी में वृद्धि होती है तो सरकार की स्वकर राजस्व जुटाने की योग्यता में भी वृद्धि होनी चाहिये। राजस्व उत्प्लावकता, जो कि राजस्व प्राप्तियों एवं जीएसडीपी की वृद्धि दर की समानुपाती है, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में उतार चढ़ाव के कारण इस अवधि के दौरान व्यापक रूप में परिवर्तित हुई। राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर गत वर्ष के 1.3 प्रतिशत से 2013-14 में 0.9 प्रतिशत रह गई। यह गत वर्ष 2012-13 की राजस्व प्राप्ति की वृद्धि में तीव्र गिरावट 17.4 प्रतिशत से, 2013-14 में 11.3 प्रतिशत एवं जीएसडीपी की वृद्धि दर में 13.8 प्रतिशत से 1.9 प्रतिशतता बिन्दु गिरावट के साथ 11.9 प्रतिशत होने के कारण है।

1.4.1 राज्य के स्व-संसाधन

जैसे केन्द्रीय करों एवं सहायतार्थ-अनुदानों में राज्यांश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंषाओं के आधार पर किया जाता है, वैसे ही राज्य के संसाधन जुटाने की निष्पादकता का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों, जिनका गठन कर एवं कर-भिन्न स्त्रोतों से हुआ, से किया गया।

नीचे **तालिका 1.7** में तेरहवें वित्त आयोग तथा एमटीएफपीएस द्वारा किये गये आंकलन के समक्ष राज्य के वास्तविक कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ दी गयी हैं:

तालिका 1.7: 2013-14 के लिए कर एवं कर-भिन्न राजस्व आंकलन तथा वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग का आंकलन	बजट/एमटीएफपीएस अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमान एवं वास्तविक के मध्य अन्तर
कर राजस्व	28,605	34,053	33,478	(-) 575 (1.7)
कर-भिन्न राजस्व	6,719	12,655	13,575	920 (7.3)

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े बजट अनुमान और वास्तविक के मध्य वृद्धि/कमी की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते है

कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलनों से क्रमशः 17 प्रतिशत (₹ 4,873 करोड़) एवं 102 प्रतिशत (₹ 6,856 करोड़) अधिक रही। फिर भी, 2013-14 में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में गिरावट प्रदर्शित हुई।

1.4.1.1 कर राजस्व

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, 63 प्रतिशत के योगदान के साथ, राज्य के कर राजस्व के मुख्य स्त्रोत थे। इसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क (15 प्रतिशत), मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क (9 प्रतिशत) एवं वाहनों पर कर (8 प्रतिशत) थे। मुख्य करों एवं शुल्कों के सम्बन्ध में सकल संग्रह की घटक वार स्थिति नीचे **तालिका 1.8** एवं **चार्ट 1.5** में दी गई है:

तालिका 1.8: राज्य के स्व कर राजस्व के घटक

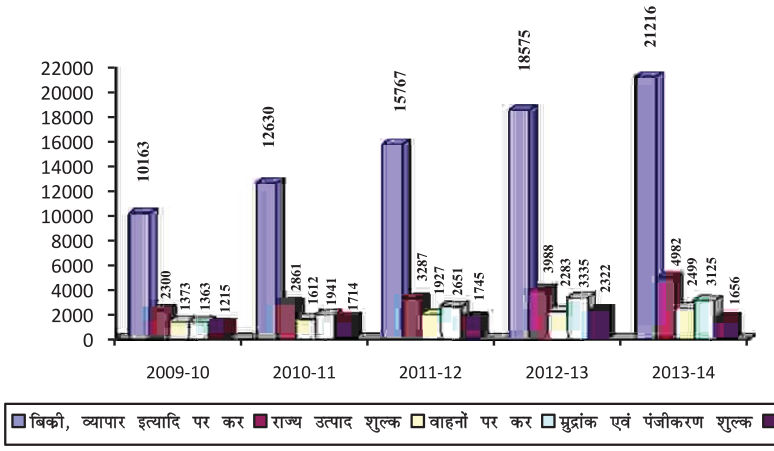
(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की दर
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	10,163	12,630	15,767	18,575	21,216	14.2
राज्य उत्पाद शुल्क	2,300	2,861	3,287	3,988	4,982	24.9
वाहनों पर कर	1,373	1,612	1,927	2,283	2,499	9.5
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	1,363	1,941	2,651	3,335	3,125	(-) 6.3
भू-राजस्व	148	222	209	304	338	11.2
माल तथा यात्री कर	176	231	220	249	288	15.7
अन्य कर[19]	891	1,261	1,316	1,769	1,030	(-) 41.8
योग	**16,414**	**20,758**	**25,377**	**30,503**	**33,478**	**9.8**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

[19] अन्य कर में कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, विद्युत कर तथा शुल्क तथा कृषि आय पर कर शामिल है।

चार्ट 1.5: 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य स्व-कर राजस्व के घटक (₹ करोड़ में)



* **अन्य करों में भू-राजस्व, माल तथा यात्री कर, कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, विद्युत कर तथा शुल्क एवं कृषि आय पर कर आदि शामिल है**

वर्ष 2013-14 के दौरान, बिक्री, व्यापार इत्यादि से प्राप्तियाँ, कर राजस्व का मुख्य अंश (63 प्रतिशत) रहा तथा गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुयी। बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की वृद्धि दर गत वर्ष की 18 प्रतिशत की तुलना में 4 प्रतिशतता बिन्दु से कम हुई। यह केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं राज्य बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर में गिरावट आने के कारण हुई।

राज्य उत्पाद शुल्क की वृद्धि दर जो कि 2009-10 में सबसे कम 6 प्रतिशत थी, विदेशी शराब एवं स्प्रिट की बिक्री, सेवाओं एवं सेवा शुल्कों के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण गत वर्ष 2012-13 की तुलना में 25 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य उत्पाद शुल्क गत वर्ष की तुलना में 4 प्रतिशतता बिन्दु बढ़ा।

वाहनों पर कर (₹ 2,499 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान गत वर्ष की तुलना में मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 3,125 करोड़) में 6 प्रतिशत की कमी हुई।

1.4.1.2 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व के मुख्य घटकों की प्रवृत्तियों को नीचे **तालिका 1.9** एवं **चार्ट 1.6** में दर्शाया गया है:

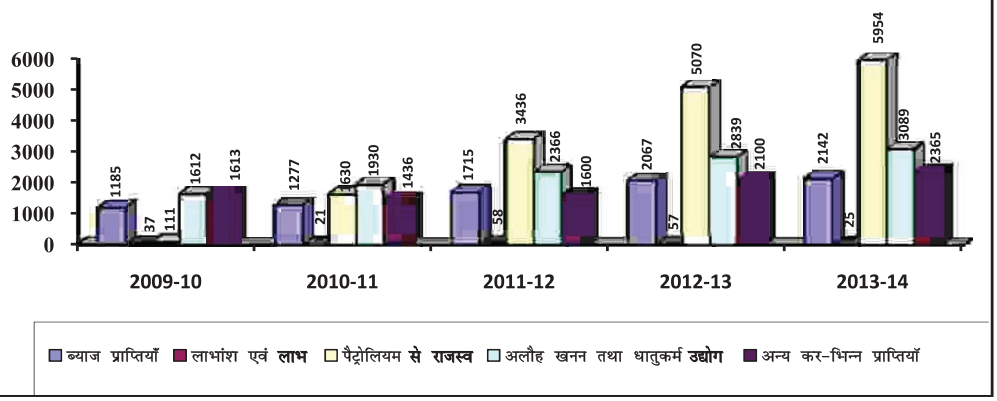
तालिका 1.9: कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की दर
ब्याज प्राप्तियाँ	1,185	1,277	1,715	2,067	2,142	3.6
लाभांश एवं लाभ	37	21	58	57	25	(-) 56.1
पैट्रोलियम से राजस्व[20]	111	1,630	3,436	5,070	5,954	17.4
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,612	1,930	2,366	2,839	3,089	8.8
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	1,613	1,436	1,600	2,100	2,365	12.6
योग	**4,558**	**6,294**	**9,175**	**12,133**	**13,575**	**11.9**

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.6 2009-10 से 2013-14 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के घटक (₹ करोड़ में)



कर-भिन्न राजस्व (₹ 13,575 करोड़), जो कि 2013-14 में कुल राजस्व प्राप्तियों का 18 प्रतिशत था, में गत वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत (₹ 1,442 करोड़) की वृद्धि हुई। कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि के कारण रॉयल्टी की अधिक प्राप्ति के परिणामस्वरूप, पैट्रोलियम से प्राप्तियाँ ₹ 884 करोड़ बढ़ी। ब्याज प्राप्तियाँ मुख्यत: रोकड़ शेष के निवेश पर ब्याज प्राप्ति तथा विभागीय सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्त ब्याज के पुस्तकीय समायोजन के कारण हुयी।

निवेश पर प्रतिलाभ 2012-13 के 0.3 प्रतिशत से गिरकर 2013-14 में 0.1 प्रतिशत रह गया। अधिक विवरण **अनुच्छेद 1.9.3** में दिया गया है।

[20] बाड़मेर-सांचौर बेसिन में कच्चे तेल उत्पादन से राजस्व।

1.4.1.3 सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली

कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों (एनटीआरआर) का आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (एनपीआरई) से अनुपात को सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली के सूचक के रूप में माना जाता है। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, जलापूर्ति तथा सफाई, मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई एवं सड़क तथा सेतु के सम्बन्ध में लागत की वसूली का विवरण एनटीआरआर का एनपीआरई से अनुपात के रूप में नीचे **तालिका 1.10** में दिया गया है:

तालिका 1.10: सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से लागत वसूली

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेवा	2012-13			2013-14		
		सम्बन्धित सेवाओं में एनटीआरआर	सम्बन्धित सेवाओं में एनपीआरई	लागत वसूली (प्रतिशत)	सम्बन्धित सेवाओं में एनटीआरआर	सम्बन्धित सेवाओं में एनपीआरई	लागत वसूली (प्रतिशत)
1	प्रारम्भिक शिक्षा	10.99	5,642.60	0.19	27.68	6,458.39	0.43
2	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	96.04	2,357.56	4.07	65.61	2,664.95	2.46
3	जलापूर्ति तथा सफाई	258.61	1,697.08	15.24	254.84	1,836.64	13.88
4	मुख्य, मध्यम एवं लघु सिंचाई	102.61	484.37[21]	21.18	92.49	516.16[21]	17.92
5	सड़क तथा सेतु	3.17	796.58	0.40	4.15	934.27	0.44

स्रोत: वित्त लेखे

सिंचाई क्षेत्र में प्राप्तियाँ 2013-14 में गत वर्ष की तुलना में 9.9 प्रतिशत गिरीं जबकि वसूली की वास्तविक लागत गत वर्ष की तुलना में 3.26 प्रतिशतता बिन्दु से कम हुयी। इस प्रकार, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई के लिये लागत वसूली के मानक आंकलन 37 प्रतिशत के समक्ष वास्तविक वसूली दर की प्रतिशतता 17.92 प्रतिशत फलित हुई।

1.4.2 भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान

जैसाकि नीचे **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है, भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान 2009-10 में ₹ 5,155 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 8,745 करोड़ हो गया:

[21] ब्याज अदायगियाँ 2012-13: ₹ 1,002.86 करोड़ एवं 2013-14: ₹ 1,055.63 करोड़ के कल्पित समायोजन के अतिरिक्त

तालिका 1.11: भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आयोजना-भिन्न अनुदान	1,715	1,716	2,901	2,675	3,551
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	1,606	2,488	2,416	2,316	2,993
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	128	165	166	92	135
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	1,706	1,651	1,999	2,091	2,066
योग	**5,155**	**6,020**	**7,482**	**7,174**	**8,745**
गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	(-) 8.6	16.8	24.3	(-) 4.1	21.9
कुल अनुदान की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	14.6	13.1	13.1	10.7	11.7

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ-अनुदान में गत वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यत: आयोजना-भिन्न अनुदान एवं राज्य आयोजनागत अनुदान के अन्तर्गत हुई

1.4.3 केन्द्रीय कर अन्तरण

केन्द्रीय करों में राज्यों के 30.50 प्रतिशत हिस्से (बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश) को तेरहवें वित्त आयोग द्वारा बढ़ाकर 32 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई। केन्द्रीय करों (सेवा कर के अतिरिक्त) के निवल आगमों एवं सेवा करों के निवल आगमों में राज्य का हिस्सा क्रमश: 5.85 प्रतिशत एवं 5.95 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

वर्ष 2013-14 के दौरान, केन्द्रीय कर अन्तरण गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,570 करोड़ बढ़ा एवं यह राजस्व प्राप्तियों का 25.1 प्रतिशत था। यह वृद्धि निगम कर (₹ 136 करोड़), सेवा कर (₹ 545 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 205 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 457 करोड़), संघ उत्पाद शुल्क (₹ 220 करोड़) एवं सम्पदा शुल्क (₹ 7 करोड़) के अन्तर्गत हुई।

1.4.4 तेरहवें वित्त आयोग अनुदानों का अधिकतम उपयोग

तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2013-14 के दौरान, निम्न **तालिका 1.12** में दर्शित क्षेत्रों में, राज्य को ₹ 3,102.36 करोड़ अन्तरित करने की सिफारिश की थी।

तालिका 1.12: सिफारिश किये गये अन्तरण एवं वास्तव में निर्मोचित सहायतार्थ-अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंतरण	तेरहवे वित्त आयोग की सिफारिश		मार्च 2013 के अंत में अप्रयुक्त राशि/ आधिक्य व्यय (-)	2013-14 में वास्तविक निर्मोचन	2013-14 के दौरान व्यय	अनुपयोजित राशि/ अधिक व्यय (-)
		2010-15	2013-14 के लिए				
1	2	3	4	5	6	7	(5+6)-7=8
(1)	**स्थानीय निकायें**						
	(i) *पंचायती राज संस्थाओं को*	3,938.64	991.24	(-) 0.02	1,179.77	1,179.77	(-) 0.02
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	*2,575.24*	*588.93*	*(-) 0.02*	*602.38*	*602.38*	*(-) 0.02*
	(ब) पंचायती राज संस्थाओं को सामान्य निष्पादन अनुदान	*1,363.40*	*402.31*	-	*577.39*	*577.39*	-
	(ii) *शहरी स्वायत्त निकाय को अनुदान*	1,194.26	300.56	(-) 0.36	361.63	361.63	(-) 0.36
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	*780.86*	*178.57*	(-) 0.36	*182.65*	*182.65*	(-) 0.36
	(ब) शहरी स्वायत्त निकाय को सामान्य निष्पादन अनुदान	*413.40*	*121.99*	-	*178.98*	*178.98*	-
	(iii) विशेष क्षेत्र अनुदान	30.90	7.20	0.72	9.01	9.01	0.72
	(अ) विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	*18.20*	*3.60*	0.54	*3.60*	*3.60*	0.54
	(ब) विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	*12.70*	*3.60*	0.18	*5.41*	*5.41*	0.18
	योग (1)	**5,163.80**	**1,299.00**	**0.34**	**1,550.41**	**1,550.41**	**0.34**
(2)	**आपदा राहत**						
	(i) आपदा राहत निधि	2,489.30	521.50	-	521.50	521.50	-
	(ii) क्षमता निर्माण	30.00	6.00	6.03	-	1.06	4.97
	योग (2)	**2,519.30**	**527.50**	**6.03**	**521.50**	**522.56**	**4.97**
(3)	**परिणाम में सुधार के लिए अनुदान**						
	(i) न्याय वितरण में सुधार	268.51	53.70	46.38	23.80	26.00	44.18
	(ii) यूआईडी निर्गम के लिए प्रोत्साहन	134.90	26.98	13.49	-	-	13.49
	(iii) जिला नवाचार निधि*	33.00	-	13.56	-	8.37	5.19
	(iv) राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों का सुधार	33.00	6.60	1.05	6.60	4.27	3.38
	(v) कर्मचारी एवं पेंशन डाटा बेस	10.00	7.50	0.14	7.50	7.50	0.14
	योग (3)	**479.41**	**94.78**	**74.62**	**37.90**	**46.14**	**66.38**
(4)	**पर्यावरण सम्बन्धित अनुदान**						
	(i) वनों की सुरक्षा	88.32	22.08	1.08	29.04	25.56	4.56
	(ii) जल क्षेत्र प्रबंधन	224.00	56.00	56.00	-	-	56.00
	योग (4)	**312.32**	**78.08**	**57.08**	**29.04**	**25.56**	**60.56**
(5)	**प्रारम्भिक शिक्षा**	**1,766.00**	**394.00**	-	**394.00**	**394.00**	-
(6)	**सड़क एवं पुल**	**1,509.00**	**409.00**	-	**409.00**	**410.62**	(-) 1.62
(7)	**राज्य विशिष्ट अनुदान**						
	(i) पेयजल	500.00	125.00	(-) 5.45	-	125.03	(-) 130.48
	(ii) सिंचाई	300.00	75.00	(-) 20.27	-	67.59	(-) 87.86
	(iii) लोक स्वास्थ्य आधारभूत विकास	150.00	37.50	12.28	37.67	39.30	10.65
	(iv) राजमार्ग	150.00	37.50	(-) 0.01	37.50	31.98	5.51
	(v) पुलिस, जेल कार्मिकों और होम गार्ड्स का प्रशिक्षण	100.00	25.00	16.27	-	12.68	3.59
	योग (7)	**1,200.00**	**300.00**	**2.82**	**75.17**	**276.58**	**(-) 198.59**
	महायोग (1 से 7)	**12,949.83**	**3,102.36**	**140.89**	**3,017.02**	**3,225.87**	**(-) 67.96**

स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं वित्त लेखे

* वर्ष 2011-12 के दौरान प्रथम किश्त के पेटे ₹ 16.50 करोड़ की राशि निर्मोचित की गई यद्यपि प्रथम किश्त के उपयोग करने के बाद ही द्वितीय किश्त निर्मोचित की जानी थी।

मार्च 2014 तक राज्य सरकार ने, ₹ 3,102.36 करोड़ के अनुदान की सिफारिश के विरूद्ध ₹ 85.34 करोड़ के कम निर्मोचन के कारण, कुल ₹ 3,017.02 करोड़ (भारत सरकार से शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए प्राप्त अनुदान ₹ 6.64 करोड़ को छोड़कर) का अनुदान प्राप्त किया।

कुछ प्रकरणों में, वर्ष 2010-11 या 2011-12 के दौरान प्रथम अंतरण/किश्त बिना किसी शर्त के जारी की जानी थी तथा अगली किश्तें निश्चित शर्तों, जिनका विवरण जैसाकि प्रत्येक अनुदान के सामने नीचे **तालिका 1.13** में दिया गया है, को पूर्ण किये जाने के बाद निर्मोचित की जानी थी।

तालिका 1.13: तेरहवें वित्त आयोग अनुदानों के निर्मोचन के लिए शर्तें

अंतरण	अगली किश्त के निर्मोचन के लिए शर्त
यूआईडी के लिए प्रोत्साहन अनुदान	विभिन्न मानदण्डों पर आधारित पुनर्भरण आधार पर निर्मोचित की जायेगी।
न्याय वितरण में सुधार	राज्य द्वारा राज्य वाद नीति पेश किये जाने के बाद निर्मोचित की जायेगी।
सरकारी कर्मचारियो और पेंशनरो के लिए डाटाबेस	डाटाबेस को तीन वर्षो में पूर्ण किया जाना है। बकाया राशि राज्य द्वारा यह प्रमाणित करने के बाद दी जाएगी कि उसने डाटाबेस तैयार कर लिया हे।
जल क्षेत्र प्रबंधन	राज्य 2011-12 तक जल विनियामक प्राधिकरण स्थापित करे और 31 मार्च 2012 तक अधिसूचित करे।
राज्य विशिष्ट अनुदान	राज्य द्वारा अनुबन्ध का उल्लंघन किये जाने की अवधि के दौरान रोकी जायेगी। यदि राज्य द्वारा वर्ष के किसी भाग में उल्लंघन किया गया, तो यह अनुदान उस अनुपात तक कम किया जायेगा।

चूँकि राज्य ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तो को पूर्ण नहीं किया जिससे जल क्षेत्र प्रबंधन: ₹ 112 करोड़ (₹ 56 करोड़ प्रत्येक वर्ष अर्थात 2012-13 एवं 2013-14 के लिए) एवं यूआईडी जारी करने के लिए प्रोत्साहन: ₹ 80.94 करोड़ (₹ 26.98 करोड़ प्रत्येक वर्ष अर्थात 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लिए) के प्रकरणों में आगामी किश्तें 2013-14 तक निर्मोचित नहीं की गई।

1.4.5 छोड़ा गया राजस्व

वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य द्वारा विभिन्न करों के अन्तर्गत बट्टा, माफी, छूट, आस्थगन इत्यादि के कारण छोड़े गये राजस्व पर मुद्रांक एवं पंजीकरण, वाणिज्यिक कर एवं परिवहन आदि विभागों से संकलित सूचना निम्नानुसार थी:

- मुद्रांक एवं पंजीकरण विभाग ने बॉण्डस, गैर-परिवर्तनीय बॉण्डस, अंश प्रमाणपत्रों आदि को सम्मिलित करते हुये दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क माफ किया जिससे ₹ 16.65 करोड़[22] का राजस्व छोड़ा गया।

[22] (1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम: ₹ 3.50 करोड़, (2) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 0.01 करोड़ (3) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड: ₹ 13.13 करोड़ एवं (4) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड: ₹ 0.01 करोड़।

- वाणिज्यिक कर विभाग ने राशि पर ₹ 12.19 करोड़ ब्याज एवं शास्ति की छूट प्रदान की।

- परिवहन विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को उनके देय मोटर वाहन कर, विशेष सड़क कर में ₹ 2.03 करोड़ तथा ₹ 3500 से अधिक देय अधिभार की छूट प्रदान की।

1.5 पूँजीगत प्राप्तियाँ

वर्ष 2009-14 की अवधि में पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे **तालिका 1.14** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.14: पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य प्राप्तियों के स्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूँजीगत प्राप्तियाँ	**8,918**	**8,309**	**7,163**	**11,065**	**14,817**
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	9	13	16	8	10
ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	112	319	1,229	1,102	316
लोक ऋण प्राप्तियाँ	8,797	7,977	5,918	9,955	14,491
ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	17.6	- 9.3	- 25.8	68.2	45.6
गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	30.1	174.4	275.0	- 10.8	- 70.6
जीएसडीपी की वृद्धि दर	15.1	27.3	19.2	13.8	11.9
पूँजीगत प्राप्तियाँ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.8	- 6.8	- 13.8	54.5	33.9

स्रोत: वित्त लेखे

1.5.1 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋण एवं गैर-ऋण प्राप्तियाँ) 2009-10 से 2013-14 तक 66 प्रतिशत एवं वर्ष 2013-14 के दौरान गत वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत बढ़ी।

1.5.2 कर्जों एवं अग्रिम की वसूलियाँ

वर्ष 2013-14 के दौरान गत वर्ष की तुलना में कर्जों एवं अग्रिम की वसूलियाँ में ₹ 786 करोड़ की कमी मुख्यत: अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से कम वसूली के कारण हुई।

1.5.3 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ/लोक ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2013-14 के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत आन्तरिक ऋण प्राप्तियाँ जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों, बैंकों इत्यादि से उधार, गत वर्ष की तुलना में 46 प्रतिशत (₹ 4,477 करोड़) बढ़ी जबकि बाजार ऋण प्राप्तियाँ एवं विद्युत

वितरण निगम के बॉण्ड्स के क्रय के लिए (9.5 प्रतिशत विशेष बाण्ड्स) प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र गत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 759 करोड़ (9.4 प्रतिशत) एवं ₹ 3,340 करोड़ (100 प्रतिशत) बढ़े।

1.5.4 भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम

वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम की प्राप्तियाँ में गत वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत (₹ 59 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज के अन्तर्गत हुयी। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा ₹ 136 करोड़ के ऋण का भी अपलेखन किया गया।

1.6 लोक लेखा प्राप्तियाँ

अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचन्त, प्रेषण इत्यादि से सम्बन्धित कुछ लेन-देनों से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो कि समेकित निधि के भाग नहीं है, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है एवं यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं होता है। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है और संवितरण के बाद शेष राशि का उपयोग करती है। लोक लेखा प्राप्तियों का विवरण **तालिका 1.15** में दिया गया है:

तालिका 1.15: लोक लेखा प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संसाधन	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लोक लेखा प्राप्तियाँ					
अ. अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,975	5,130	5,630	7,171	6,311
ब. आरक्षित निधि	-267	873	1,638	1,568	2,233
स. जमा तथा अग्रिम	99,446	1,07,666	1,14,301	1,40,748	89,436
द. उचन्त तथा विविध	75	11	27	43	91
य. प्रेषण	6,128	5,810	5,619	7,033	9,908[23]
योग	**1,09,357**	**1,19,490**	**1,27,215**	**1,56,563**	**1,07,979**

स्रोत: वित्त लेखे

लोक लेखा प्राप्तियाँ, जिनमें कि 2009-13 के दौरान लगातार वृद्धि प्रदर्शित हुई, में 2013-14 के दौरान गत वर्ष की तुलना में ₹ 48,584 करोड़ (31 प्रतिशत) की भारी कमी हुई। यह कमी मुख्यतः जमा तथा अग्रिमों (₹ 51,312 करोड़) के अन्तर्गत रही। यह प्रेषण (₹ 2,875 करोड़) में वृद्धि से प्रतिसन्तुलित हुई।

[23] इसमें खजानों तथा मुद्रा तिजोरियों के बीच प्रेषण: ₹ 1,041 करोड़: लोक निर्माण प्रेषण: ₹ 8,514 करोड़ तथा वन प्रेषण: ₹ 353 करोड़ शामिल है।

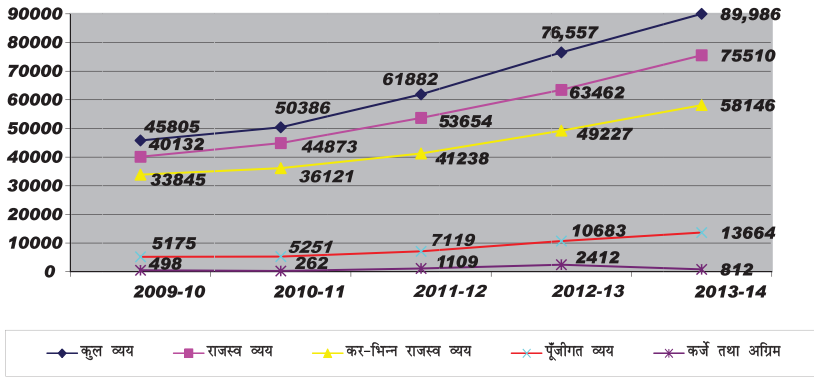
1.7 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है चूँकि व्यय का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के दायरे में, घाटे अथवा उधारों से वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय सीमाऐं होती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि राज्य स्तर पर चल रहे राजकोषीय सुधार एवं सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया व्यय, विशेषतया सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय, की लागत पर नहीं है।

1.7.1 कुल व्यय

नीचे दिखाया गया **चार्ट 1.7**, पाँच वर्षों (2009-14) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्ति को और **चार्ट 1.8**, 'आर्थिक वर्गीकरण' के रूप में इसके संयोजन को दर्शाता है।

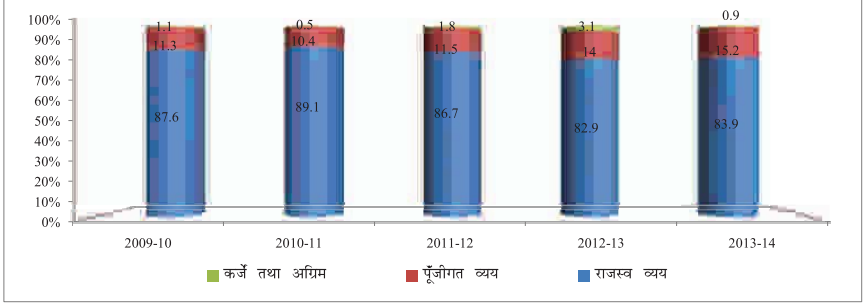
चार्ट 1.7 कुल व्यय: प्रवृत्ति तथा संयोजन (₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

राज्य का कुल व्यय, 24 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से 2009-10 से 2013-14 की अवधि में, 96 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल व्यय गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2012-13 की तुलना में राजस्व व्यय ₹ 12,048 करोड़ (19 प्रतिशत) एवं पूँजीगत व्यय ₹ 2,981 करोड़ (28 प्रतिशत) बढ़ा जोकि ऋण एवं अग्रिमों की पुनर्अदायगी में ₹ 1,600 करोड़ (66 प्रतिशत) की कमी से प्रतिसन्तुलित हुआ।

चार्ट 1.8 कुल व्यय: इसके घटकों के भागों की प्रवृत्ति में (भाग प्रतिशत में)



राजस्व व्यय

राजस्व व्यय, कुल व्यय का मुख्य भाग है। यह वर्तमान स्तर की सेवाएं बनाये रखने एवं पिछले दायित्वों के भुगतान पर किया जाता है और इसी कारण राज्य के आधारभूत ढांचे एवं सेवाओं के नेटवर्क में किसी प्रकार का योगदान नहीं देता।

वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय, कुल व्यय का 84 प्रतिशत था। राजस्व व्यय 2009-10 के ₹ 40,132 करोड़ से 88 प्रतिशत बढ़कर, 2013-14 में 22 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर के साथ, ₹ 75,510 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय, गत वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत बढ़ा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व व्यय में ₹ 12,048 करोड़ (19 प्रतिशत) की समग्र वृद्धि में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा वृद्धजन पेंशन योजनाओं एवं नवाचार योजनाओं में ₹ 2,638 करोड़ (222 प्रतिशत) की वृद्धि शामिल है जोकि राजस्व अधिशेष के राजस्व घाटे में परिवर्तित होने का भी एक मुख्य कारण थी।

पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय, 2009-10 के ₹ 5,175 करोड़ से 164 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में 41 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर के साथ, ₹ 13,664 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान पूँजीगत व्यय, गत वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत (₹ 2,981 करोड़) से मुख्यत: जलापूर्ति एवं सफाई पर पूँजीगत परिव्यय में ₹ 1,520 करोड़ एवं सड़क एवं सेतु पर पूँजीगत परिव्यय में ₹ 815 करोड़ होने के कारण बढ़ा। कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का प्रतिशतता अंश 2010-11 में 10.4 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 के दौरान 15.2 प्रतिशत हो गया।

1.7.2 चालू राजस्व शेष[24]

राजस्व प्राप्तियाँ (भारत सरकार से प्राप्त आयोजनागत सहायता के अलावा) ₹ 69,277 करोड़ की (₹ 74,471 करोड़-₹ 2,993 करोड़-₹ 2,201 करोड़) ***(परिशिष्ट 1.4)*** एनपीआरई के ₹ 58,146 करोड़ **(चार्ट 1.7)** से ₹ 11,131 करोड़ अधिक थी जो कि यह इंगित करता है कि एनपीआरई की पूर्ति करने हेतु आयोजनागत सहायता का उपयोग नहीं किया गया जो कि एक सकारात्मक सूचक है।

1.7.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते में राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय, मुख्यत: ब्याज अदायगियाँ, वेतन तथा मजदूरी, पेन्शन तथा अर्थ-सहाय्य पर व्यय, का संघटक है। वर्ष 2009-2014

[24] चालू राजस्व शेष से तात्पर्य 'राजस्व प्राप्तियों में से समस्त आयोजना अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय' को घटाने से है।

के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को निम्न **तालिका** 1.16 एवं **चार्ट** 1.9 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.16: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वेतन एवं मजदूरी- आयोजना-भिन्न शीर्ष	13,348	13,730	14,829	16,825	19,290
वेतन एवं मजदूरी- आयोजना शीर्ष *	682	840	1,018	770	1,314
कुल वेतन एवं मजदूरी	14,030 (39.7)	14,570 (31.7)	15,847 (27.8)	17,595 (26.3)	20,604** (27.7)
ब्याज अदायगियाँ	6,769 (19.1)	7,369 (16.0)	7,892 (13.8)	8,340 (12.5)	9,063 (12.2)
पेन्शन पर व्यय	4,887 (13.8)	5,151 (11.2)	5,920 (10.4)	6,858 (10.2)	7,801 (10.5)
अर्थ-सहाय्य	1,493 (4.2)	2,227 (4.8)	3,200 (5.6)	5,464 (8.2)	6,940 (9.3)
कुल प्रतिबद्ध व्यय	**27,179 (76.8)**	**29,317 (63.8)**	**32,859 (57.6)**	**38,257 (57.2)**	**44,408 (59.6)**
अन्य घटक	12,953 (36.6)	15,556 (33.9)	20,795 (36.5)	25,205 (37.7)	31,102*** (41.8)
कुल राजस्व व्यय	**40,132**	**44,873**	**53,654**	**63,462**	**75,510**
राजस्व प्राप्तियाँ	**35,385**	**45,928**	**57,011**	**66,913**	**74,471**

टिप्पणी: कोष्ठक में दी गयी संख्या, राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाती है।

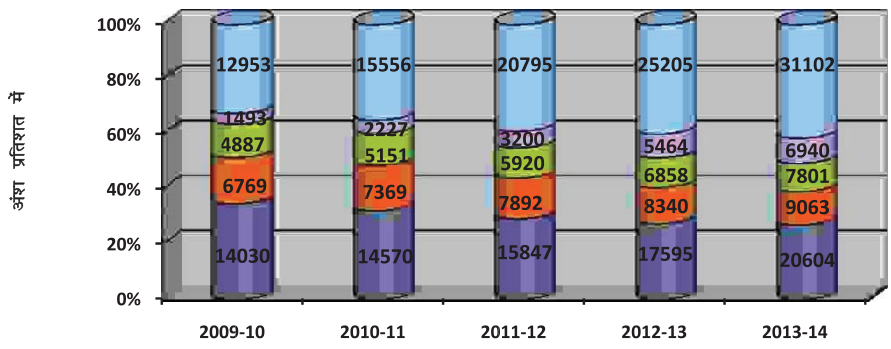
* आयोजनागत शीर्ष में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान किए गए वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।

** वेतन: ₹ 20,170 करोड़ एवं मजदूरी ₹ 434 करोड़

*** वित्तीय सहायता (सहायतार्थ अनुदान): ₹ 13,385 करोड़; सहायतार्थ-अनुदान सामान्य (वेतन): ₹ 5,378 करोड़; निधियों को अंतरण: ₹ 1,638 करोड़; एवं रखरखाव: ₹ 478 करोड पर व्यय सम्मिलित है।.

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.9 वर्ष 2009-14 के दौरान राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश (चिन्हित मूल्य ₹ करोड़ में)



वर्ष 2013-14 में प्रतिबद्ध व्यय ₹ 44,408 करोड़ था जो कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का क्रमश: 59 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत था।

1.7.3.1 वेतन तथा मजदूरी

वेतन तथा मजदूरी पर व्यय, वर्ष 2009-10 के ₹ 14,030 करोड़ से 47 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 में उक्त अवधि के दौरान 12 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ ₹ 20,604 करोड़ हो गया । वर्ष 2013-14 के दौरान वेतन तथा मजदूरी पर व्यय गत वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत बढ़ा। जबकि यह तेरहवें वित्त आयोग[25] द्वारा सिफारिश किए गए व्यय (6 प्रतिशत) से 11 प्रतिशतता बिन्दु अधिक रहा, यह राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 489 करोड़ कम रहा।

1.7.3.2 पेन्शन भुगतान

- ***सामान्य***

समग्र पेन्शन भुगतान पर व्यय, वर्ष 2009-10 के ₹ 4,887 करोड़ से 60 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 में 15 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ ₹ 7,801 करोड़[26] हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान पेन्शन भुगतान पर गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर, पेन्शनरों की कुल संख्या में 9,125[27] (2.7 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण अभिलेखित की गई। वास्तविक पेन्शन भुगतान, तेरहवें वित्त आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये अनुमान/आंकलन का तुलनात्मक विश्लेषण यह दर्शाता हैं कि वास्तविक पेन्शन भुगतान (₹ 7,801 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन (₹ 4,811 करोड़) से 62 प्रतिशत अधिक रहा लेकिन राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से 1 प्रतिशत कम रहा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेन्शन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ पर व्यय, कुल राजस्व व्यय का 10.3 प्रतिशत रहा।

- ***अंशदायी पेंशन योजना***

राज्य सरकार ने जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना लागू की। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुरूपित किया जाता है तथा सम्पूर्ण राशि लेखा शीर्ष 8342 अन्य जमा- 117 निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत लोक लेखा को स्थानान्तरित की जाती है तथा इसके पश्चात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को हस्तान्तरित कर दी जाती है। वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार ने कर्मचारियों

[25] तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन का अनुच्छेद संख्या 7.60

[26] इसमे चालू वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर 2003 या इससे पहले के राज्य सरकार के कर्मचारियों पर पेन्शन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ पर व्यय पर हुये व्यय ₹ 7,594.50 करोड़ शामिल है।

[27] पेन्शनरों की संख्या 2012-13: 3,42,290 एवं 2013-14: 3,51,415.

के अंशदान के रूप में ₹ 262.63 करोड़ प्राप्त किये तथा ₹ 206.96 करोड़ नियोक्ता के रूप में अंशदान किया।

1.7.3.3 ब्याज अदायगियाँ

ब्याज अदायगियाँ, वर्ष 2009-10 के ₹ 6,769 करोड़ से 34 प्रतिशत एवं गत वर्ष (₹ 8,340 करोड़) से 9 प्रतिशत बढ़कर, वर्ष 2013-14 में ₹ 9,063 करोड़ हो गई। मुख्य घटक आन्तरिक ऋण पर ब्याज (₹ 5,972 करोड़), अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज (₹ 2,469 करोड़) एवं केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (₹ 502 करोड़) थे।

आन्तरिक ऋण पर ब्याज, जिसमें बाजार के कर्जे शामिल हैं, 2012-13 के ₹ 5,445 करोड़ से 10 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹ 5,972 करोड़ हो गया, जोकि गत वर्ष की तुलना में मुख्यत: बाजार के कर्जे ₹ 7,175 करोड़ (16 प्रतिशत) एवं आन्तरिक ऋण ₹ 3,433 करोड़ (13 प्रतिशत) बढ़ने के कारण थी।

अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज भी 2012-13 के ₹ 2,238 करोड़ से 10 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹ 2,469 करोड़ हो गया, जोकि गत वर्ष की तुलना में मुख्यत: राज्य प्रावधायी निधि ₹ 1,861 करोड़ (10 प्रतिशत) एवं बीमा तथा पेंशन निधि ₹ 660 करोड़ (9 प्रतिशत) बढ़ने के कारण थी।

वर्ष 2013-14 के दौरान की गयी ब्याज अदायगियाँ ₹ 9,063 करोड़ थी जोकि राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन (₹ 9,241 करोड़) एवं तेरहवें वित्त आयोग में किये गये आंकलन (₹ 9,429 करोड़) से कम रही।

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात, राज्य के ऋण की सहनीयता को निर्धारित करता है। वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियों का राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 12 प्रतिशत रहा जो कि तेरहवें वित्त आयोग के मानकों (15 प्रतिशत) के भीतर था, जोकि एक सकारात्मक संकेत भी है।

1.7.3.4 अर्थ-सहाय्य

किसी भी कल्याणकारी राज्य में, समाज के साधनहीन वर्ग को अर्थ-सहाय्य/आर्थिक सहायता प्रदान करना असामान्य बात नहीं है। अर्थ-सहाय्य केवल प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं दी जाती है अपितु जनता को अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक सेवाऐं उपलब्ध कराके भी वितरित की जा सकती हैं। अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य की श्रेणी में वित्तीय संस्थाओं को बजटीय समर्थन, निवेशों पर अपर्याप्त प्रतिलाभ एवं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर उपभोक्ता प्रभारों की अल्प वसूली शामिल है।

चालू वर्ष के दौरान ₹ 6,910 करोड़ की प्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य वित्त लेखे के परिशिष्ट III में दर्शायी गयी है जो कि गत वर्ष की तुलना में मुख्यत: विद्युत (₹ 6,460 करोड़), खाद्य वितरण (₹ 268 करोड़), घरेलू गैस (₹ 116 करोड़) एवं फसल कृषि-कर्म (₹ 52 करोड़) क्षेत्रों में ₹ 1,450 करोड़ (26 प्रतिशत) अधिक रही।

विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य कुल अर्थ-सहाय्य का 93 प्रतिशत था। 2013-14 के दौरान विद्युत क्षेत्र को मुख्यत: दरें न बढ़ाने के लिए (₹ 5,261 करोड़[28]) विद्युत कर (₹ 624 करोड़[29]) तथा वित्तीय रि-मॉडिफिकेशन प्रोग्राम (₹ 420 करोड़[30]) के लिए अर्थ-सहाय्य प्रदान किये गये।

विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य, गत वर्ष (₹ 4,861 करोड़) की तुलना में 33 प्रतिशत (₹ 1,599 करोड़) वृद्धि मुख्यत: दर न बढ़ाने के लिए अनुदान ₹ 2,816 करोड़[31] से बढ़ाने के कारण हुयी जोकि विद्युत कर के लिए अनुदान ₹ 526 करोड़ से एवं बॉण्डस् पर ब्याज हेतु अनुदान ₹ 829 करोड़ कम होने से प्रतिसन्तुलित हुयी। गत वर्ष की तुलना में खाद्य अर्थ-सहाय्य एवं फसल कृषि-कर्म अर्थ-सहाय्य क्रमश: 14 प्रतिशत एवं 58 प्रतिशत गिरी।

प्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य आंशिक चित्र प्रस्तुत करती है क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य सम्मिलित नहीं होता है। अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य तब उत्पन्न होता है जब सरकार सामाजिक एवं आर्थिक वस्तुओं/सेवाओं, जो कि मुख्यत: निजी प्रकृति के हों, को प्रदान करने में आई लागत को वसूल करने में असमर्थ होती है। यह परोक्ष अथवा कर रियायतों के रूप में हो सकती है।

1.7.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वर्ष 2009-14 के दौरान अनुदान एवं कर्जों के माध्यम से प्रदान की गई सहायता निम्न प्रकार है:

[28] (i) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 2,391 करोड़, (ii) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1,641 करोड़ तथा (iii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1,229 करोड़।

[29] (i) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 156 करोड़, (ii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 217 करोड़ तथा (iii) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 251 करोड़।

[30] (i) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 168 करोड़, (ii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 126 करोड़ तथा (iii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 126 करोड़।

[31] (i) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1,475 करोड़, (ii) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 856 करोड़ तथा (iii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 485 करोड़।

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट अनुमान	वास्तविक
शैक्षणिक संस्थाएं (अनुदानित विद्यालय, अनुदानित कॉलेज एवं विश्वविद्यालय इत्यादि)	448.63	1,506.21	2,013.12	2,302.98	2,236.99	2,236.99
नगर निगम एवं नगरपालिकाऐं	1,047.23	1,130.04	1,339.94	2,255.06	2,324.16	2,324.16
पंचायती राज संस्थाऐं	3,868.59	4,365.15	6,217.95	7,675.24	8,945.99	8,953.21
विकास अभिकरण	376.36	354.18	75.07	118.94	195.38	195.36
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाऐं	107.51	117.03	72.50	84.27	125.57	124.72
अन्य संस्थाऐं	2,195.49	2,743.03	2,618.23	3,781.66	4,931.45	4,929.02
योग	**8,043.81**	**10,215.64**	**12,336.81**	**16,218.15**	**18,759.54**	**18,763.46**
राजस्व व्यय	40,132	44,873	53,654	63,462	76,195	75510
सहायता का राजस्व व्यय से प्रतिशत	20	23	23	26	25	25

स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा संकलित वाउचर्स

गत वर्ष की तुलना में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं की वित्तीय सहायता 16 प्रतिशत की वृद्धि दर अभिलेखित करते हुए ₹ 2,545 करोड़ बढ़ी तथा वर्ष 2009-14 के दौरान यह राजस्व व्यय के 20 से 26 प्रतिशत के मध्य रही।

वर्ष 2013-14 के दौरान वित्तीय सहायता मुख्यत: प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों को (₹ 2,811 करोड़); सर्व शिक्षा अभियान हेतु (₹ 1,523 करोड़); तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान (₹ 865 करोड़); राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को (₹ 833 करोड़); निर्बन्ध निधियाँ (₹ 661 करोड़) तथा मिड-डे मील (₹ 556 करोड़) हेतु दी गई थी। इसके अतिरिक्त, नगर निगमों (₹ 509 करोड़); नगरपालिकाओं/नगर परिषदों (₹ 552 करोड़); सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से नवाचार कार्यक्रम के लिए जिला परिषदों (₹ 712 करोड़); विद्युत कम्पनियों को दायित्वों के कारण होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए (₹ 735 करोड़); सहकारिता संस्थाओं (₹ 547 करोड़); फसल कृषि-कर्म (₹ 865 करोड़) तथा छोटे एवं सीमान्त कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं हेतु राहत के रूप में कृषि आगत अनुदान जो कि कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लीज फसलों हेतु (₹ 523 करोड़) थे, को विशेष अनुदान प्रदान किया गया।

1.7.5 स्थानीय निकायों से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु

स्थानीय निकायों यथा पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) एवं शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से संबंधित मुख्य मुद्दों की स्थिति निम्नानुसार सारांशीकृत है:

पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2014 को राज्य में 33 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), 33 जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ), 248 पंचायत समितियाँ एवं 9,177 ग्राम पंचायतें, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, पंचायती राज संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में थी।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (डीएलएफएडी) पीआरआई के प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत इनकी लेखापरीक्षा करते हैं। राज्य में डीएलएफएडी द्वारा पीआरआई की लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (टीजीएस) का पैमाना अपनाया गया तथा इन लेखों की लेखापरीक्षा एवं इनका लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 75 में भी संशोधन (मार्च 2011) किया गया।

स्थानीय निकायों के लेखे, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम (आरपीआरए), 1994 के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान पंचायती राज नियम (आरपीआरआर), 1996 के तहत, 31 मार्च 2014 तक पारम्परिक प्रारूपों में संधारित किये जा रहे थे। इसी बीच, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के परामर्श से जारी किये गये सरलीकृत लेखांकन प्रारूप वर्ष 2009 को, डाटा प्रविष्टि तथा आठ डाटाबेस प्रारूपों के रखरखाव हेतु आदर्श लेखांकन 'पंचायती राज संस्थान लेखांकन सॉफ्टवेयर' (पीआरआईए सॉफ्ट) के साथ, अप्रैल 2011 से अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए स्वीकार किया गया।

तिहत्तरवें संवैधानिक संशोधन के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जून 2003 एवं अक्टूबर 2010 में हस्तांतरण आदेश जारी किये गये। तद्नुसार, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लेखित 29 कार्यो में से 28 कार्य प्रारम्भिक रूप से स्थानान्तरित किये गये। तथापि केवल 20 विषयों से सम्बन्धित निधियों एवं कर्मियों को स्थानान्तरित किया गया (विवरण ***परिशिष्ट 1.11*** में दिया गया है)। तदुपरान्त जनवरी 2004 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित 5 विषयों की निधियों, कार्यों एवं कर्मियों के हस्तांतरण को वापस ले लिया गया।

शहरी स्थानीय निकाय

31 मार्च 2014 को 6 नगर निगम, 35 नगर परिषद एवं 143 नगर पालिकाऐं, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन थे।

डीएलएफएडी, शहरी स्थानीय निकाय का प्राथमिक लेखापरीक्षक है एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत सीएजी इनकी लेखापरीक्षा करता है।

राज्य की सभी 184 नगर निकायों को निदेशक स्थानीय निकाय (डीएलबी), जयपुर द्वारा 01 अप्रैल 2010 से उपार्जन आधारित लेखांकन पद्धति से लेखे संधारित करने के लिए निर्देशित किया गया था। नगर निकाय उपार्जन आधारित लेखांकन पद्धति अपनाने की प्रक्रिया में है।

चौहत्तरवें संवैधानिक संशोधन द्वारा अंतर्विष्ट धारा 243डब्ल्यू में, संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लेखित 18 विषयों के सम्बन्ध में, नगरपालिकाओं को शक्ति एवं उत्तरदायित्व का हस्तांतरण प्राविधित किया गया था। डीएलबी द्वारा दी गई सूचना (जून 2014) के अनुसार, यूएलबी द्वारा 16 विषयों ***(परिशिष्ट 1.12)*** से सम्बन्धित कार्य पहले से ही किये जा रहे हैं। शेष दो कार्यों के संबंध में 184 शहरी स्थानीय निकायों में से 7[32] में ही 'जलापूर्ति' संबंधी कार्य किये जा रहे हैं जबकि 6 फरवरी 2013 की अधिसूचना के अनुसार शहरी योजना के कार्य का हस्तांतरण शहरी स्थानीय निकायों को किया जाना अभी बाकी है।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत ढ़ाँचे की उपलब्धता उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार हेतु मूलतः तीन पहलू शामिल होते है यथा व्यय की पर्याप्तता (लोक सेवाओं हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय के उपयोग की दक्षता एवं इसकी प्रभावोत्पादकता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय-परिणाम सम्बन्धों का आंकलन)।

1.8.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपी गयी सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत ढ़ाँचे से सम्बन्धित व्यय की जिम्मेदारियां, मुख्यतया राज्य का विषय है। मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्य, मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि पर व्यय को बढ़ाये। किसी विशिष्ट क्षेत्र से अल्प राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का सम्पूर्ण व्यय से अनुपात) संलग्न होती है यदि यह संबंधित क्षेत्र के राष्ट्रीय औसत से कम हो।

नीचे दी गयी **तालिका 1.18** वर्ष 2013-14 के दौरान विकासात्मक व्यय, सामाजिक व्यय एवं पूँजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है।

[32] बूंदी, चौमू, जैसलमेर, करौली, नागौर, नाथद्वारा एव ंनोखा।

तालिका 1.18: वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	समग्र व्यय/ जीएसडीपी	विकासात्मक व्यय # / समग्र व्यय	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ समग्र व्यय	पूँजीगत व्यय/ समग्र व्यय	शिक्षा/समग्र व्यय	स्वास्थ्य/ समग्र व्यय
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत* (अनुपात) 2010-11	**15.78**	**65.09**	**36.88**	**13.49**	**17.48**	**4.37**
राजस्थान का औसत (अनुपात) 2010-11	**14.89**	**66.43**	**39.51**	**10.42**	**20.32**	**5.08**
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2013-14	**15.92**	**66.45**	**37.56**	**13.62**	**17.20**	**4.51**
राजस्थान का औसत (अनुपात) 2013-14	**17.52**	**73.39**	**40.39**	**15.18**	**17.08**	**5.31**

* दिल्ली, गोवा एवं पांडिचेरी के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के राज्य।

\# विकासात्मक व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

स्रोत: (i) **राजस्थान की जीएसडीपी के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार से संग्रहित सूचना एवं वित्त लेखे** (ii) **सामान्य श्रेणी के राज्यों की जीएसडीपी के लिए 1 अगस्त 2014 को सीएसओ की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना सिवाय केरल के प्रकरण में जहाँ पीएजी द्वारा आँकड़े उपलब्ध करवाये गये तथा गुजरात जहाँ 2013-14 के बजट प्रपत्र से आंकड़े लिये गये।**

तालिका 1.18 निम्नानुसार इंगित करती है:

1. वर्ष 2013-14 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राजस्थान अपने जीएसडीपी का बडा भाग समग्र व्यय के रूप में खर्च कर रहा है।

2. राजस्थान में समग्र व्यय के अंश के रूप में विकासात्मक व्यय भी सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक है। विकासात्मक व्यय में आर्थिक क्षेत्र एवं सामाजिक क्षेत्र व्यय दोनों को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में सामाजिक क्षेत्र व्यय (समग्र व्यय के अंश के रूप में) सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से भी अधिक है।

3. राजस्थान द्वारा 2010-11 की तुलना में 2013-14 के दौरान पूँजीगत व्यय में वृद्धि को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 में पूँजीगत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक रहा।

1.8.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को देखते हुए राज्य सरकारों के लिए व्यय सुव्यवस्थीकरण के समुचित

उपाय करना और कोर पब्लिक गुड्स एण्ड मैरिट गुड्स[33] के प्रावधान पर बल देना, महत्वपूर्ण है। विकासात्मक व्यय[34] के लिए आवंटन में सुधार के अतिरिक्त, व्यय के उपयोग की दक्षता पूँजीगत व्यय का कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से अनुपात और विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के प्रचालन एवं रख रखाव पर किये जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। इन घटकों का कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। **तालिका 1.19** राज्य की चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष उस वर्ष के बजटीय एवं गत वर्ष में वास्तविक की तुलना में विकासात्मक व्यय की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.19: विकासात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासात्मक व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट अनुमान	वास्तविक
अ. विकासात्मक राजस्व व्यय	24,466 (53.4)	28,115 (55.8)	34,672 (56.0)	42,701 (55.8)	52,680 (58.2)	51,921 (57.7)
ब. विकासात्मक पूँजीगत व्यय	5,752 (12.6)	5,096 (10.1)	6,915 (11.2)	10,434 (13.6)	13,559 (15.0)	13,330 (14.8)
स. विकासात्मक कर्जे एवं अग्रिम	498 (1.1)	262 (0.5)	1,109 (1.8)	2,412 (3.2)	189 (0.2)	812 (0.9)
विकासात्मक व्यय(अ से स)	**30,716 (67.1)**	**33,473 (66.4)**	**42,696 (69.0)**	**55,547 (72.6)**	**66,428 (73.4)**	**66,063 (73.4)**
विकासात्मक व्यय की वृद्धि दर	10.9	9.0	27.6	30.1	30.0	18.9
कोष्ठक में संख्या समग्र व्यय से प्रतिशतता को प्रकट करती है।						

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

[33] कोर पब्लिक गुड्स वह साधन एवं सेवाऐं है जिसका सभी नागरिक समान रूप से उपयोग इस भाव से करते है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इनके उपयोग करने से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसी सामग्री के उपभोग करने में कमी नहीं आती हैं, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का प्रवर्तन, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु एवं अन्य पर्यावरणीय साधन तथा सड़क आधारभूत संरचनाऐ इत्यादि। मेरिट गुड्स वे जिन्स हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र नि:शुल्क अथवा रियायती दरों पर उपलब्ध कराता हैं क्योंकि वे किसी व्यक्ति तथा समाज के पास, सरकार को भुगतान करने की इच्छा एवं क्षमता के बजाय, आवश्यकता की कुछ धारणा के आधार पर होने चाहिए और इसलिए उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहता हैं। इन जिन्सों की व्यवस्था के उदाहरणों में गरीबों को पोषण देने के लिए नि:शुल्क अथवा रियायती दर पर खाद्यान्न, अस्वस्थ्यता में कमी एवं जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना, सभी को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, पीने का पानी, सफाई व्यवस्था इत्यादि।

[34] व्यय के आँकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक व्यय में अलग-अलग किया गया है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्व किया गया है। मोटे तौर पर सामाजिक एवं आर्थिक सेवाऐं विकासात्मक व्यय बनाते हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकासात्मक व्यय माना गया है।

विकासात्मक व्यय में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय, पूँजीगत परिव्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम शामिल है। कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में यह 2010-11 में 66.4 से बढ़कर 2013-14 में 73.4 हो गयी। वर्ष 2009-14 के दौरान विकासात्मक व्यय का औसतन 56 प्रतिशत राजस्व खाते पर रहा तथा शेष पूँजीगत खाते, जिसमें ऋण एवं अग्रिम शामिल है, पर रहा।

सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 60 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2012-13 के ₹ 2,840 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 4,551 करोड़ हो गया एवं इसका कुल पूँजीगत व्यय के साथ अनुपात भी 2012-13 में 27 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 33 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 16 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2012-13 के ₹ 7,594 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 8,779 करोड़ हो गया।

गत वर्ष की तुलना में 2013-14 में सरकार द्वारा आर्थिक सेवाओं के सम्बन्ध में प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे कृषि एवं सम्बद्ध कार्य कलाप, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, परिवहन, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तथा ऊर्जा पर पूँजीगत परिव्यय क्रमशः ₹ 50 करोड़, ₹ 182 करोड़, ₹ 774 करोड, ₹ 78 करोड़ तथा ₹ 85 करोड़ अधिक किया गया।

नीचे दी गयी **तालिका 1.20** पूँजीगत व्यय तथा चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किये गये राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.20: चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	2012-13			2013-14		
	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में		पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में	
		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं अनुरक्षण		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं अनुरक्षण
(अ) सामाजिक सेवायें						
सामान्य शिक्षा	0.13	59.56	नगण्य	0.42	59.96	नगण्य
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5.50	68.95	0.11	7.09	66.70	0.16
जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	34.65	23.83	1.24	46.95	25.74	1.94
योग (अ)	**10.09**	**45.95**	**0.23**	**12.63**	**43.35**	**0.32**
(ब) आर्थिक सेवायें						
कृषि एवं सम्बद्ध कार्य कलाप	9.87	34.87	0.40	9.83	34.38	0.37
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	36.34	19.20	7.05	39.18	20.28	9.10
विद्युत एवं ऊर्जा	40.81	0.02	0.00	35.38	0.01	0.00
परिवहन	54.82	8.10	13.18	59.62	7.14	60.60
योग (ब)	**30.37**	**9.69**	**1.75**	**30.05**	**9.38**	**5.62**
महायोग (अ+ब)*	**19.64**	**31.17**	**0.85**	**20.43**	**29.98**	**2.40**

स्रोत: वित्त लेखे

* (सामाजिक सेवाओं पर व्यय+आर्थिक सेवाओं पर व्यय)/कुल व्यय x 100

सामाजिक सेवाओं पर व्यय

कुल राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का अंश 2012-13 में 45.95 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 में 43.35 प्रतिशत रह गया।

आर्थिक सेवाओं पर व्यय

कुल राजस्व व्यय में आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का अंश 2012-13 के 9.69 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 में 9.38 प्रतिशत रह गया।

संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय

यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि संचालन एवं अनुरक्षण के लिए पर्याप्त निधि का आवंटन किया गया है क्योंकि परिसम्पत्तियों को बनाये रखा जाना होता है। सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के राजस्व व्यय में, संचालन एवं अनुरक्षण का अंश 2013-14 में 2.40 प्रतिशत रहा। वर्ष 2013-14 के दौरान, संचालन एवं अनुरक्षण के लिए कुल राजस्व व्यय का मात्र 1.77 प्रतिशत आवंटन किया गया।

सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में अनुरक्षण एवं रख-रखाव का अंश, 2012-13 के 0.23 प्रतिशत एवं 1.75 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में क्रमशः 0.32 प्रतिशत एवं 5.62 प्रतिशत हो गया।वित्त लेखे के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार ने अपनी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए मात्र ₹ 1,372.41 करोड़ (राजस्वः ₹ 1,334.89 करोड़, पूँजीगतः ₹ 37.52 करोड़) दर्ज किये।

1.8.3 आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय

वित्त लेखे व्यय का आगे वर्गीकरण, आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय में करते है। आयोजना व्यय जिसमें राजस्व एवं पूँजीगत व्यय दोनों शामिल है, सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर हुए वृद्धिशील विकासात्मक व्यय से संबंधित है। पहले से ली जा रही सेवाओं के स्तर को बनाये रखने के लिए सामान्यतः आयोजना-भिन्न व्यय का उपयोग किया जाता है। निम्न ***तालिका 1.21*** विगत पाँच वर्षों में आयोजना तथा आयोजना-भिन्न व्यय की वृद्धि एवं संघटकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.21: आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आयोजना	राजस्व	6,287	8,752	12,416	14,235	17,364
	पूँजीगत	5,820	5,231	7,103	10,682	13,676
	ऋण	462	189	1,051	2,242	664
	योग	**12,569**	**14,172**	**20,570**	**27,159**	**31,704**
	आयोजना की कुल व्यय से प्रतिशतता	27	28	33	35	35
आयोजना-भिन्न	राजस्व	33,845	36,121	41,238	49,227	58,146
	पूँजीगत	(-) 645	20	16	1	(-) 12
	ऋण	36	73	58	170	148
	योग	**33,236**	**36,214**	**41,312**	**49,398**	**58,282**
	आयोजना-भिन्न की कुल व्यय से प्रतिशतता	73	72	67	65	65
कुल व्यय		**45,805**	**50,386**	**61,882**	**76,557**	**89,986**

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2010-14 के दौरान कुल व्यय में आयोजना व्यय के अंश में लगातार वृद्धि दर्शाई जो व्यय की उत्पादक गुणवत्ता का संकेत है।

वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान आयोजना व्यय 2009-10 के ₹ 12,569 करोड़ से 152 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹ 31,704 करोड़ एवं इसी अवधि के दौरान आयोजना-भिन्न ₹ 33,236 करोड़ से 75 प्रतिशत बढ़कर ₹ 58,282 करोड़ हो गया।

आयोजना राजस्व व्यय (आराव्य) एवं आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (आभिराव्य) में 2009-14 की अवधि में लगातार वृद्धि हुई। आराव्य गत वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत से बढ़ा। 2013-14 के लिए आराव्य एमटीएफपीएस में अनुमानित 22.2 प्रतिशत की वृद्धि से कम था। इसी प्रकार, आभिराव्य में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 2013-14 के लिये एमटीएफपीएस में किये गये 10.2 प्रतिशत के आंकलन से अधिक थी।

1.8.3.1 आयोजना राजस्व व्यय

आयोजना राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में ₹ 3,129 करोड़ की वृद्धि मुख्यत:, मुख्यशीर्ष सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 797 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 765 करोड़), नागरिक आपूर्ति (₹ 259 करोड़), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (₹ 237 करोड़), अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण(₹ 223 करोड़), परिवार कल्याण (₹ 191 करोड़) एवं ग्रामीण रोजगार (₹ 183 करोड़), के अन्तर्गत थी। वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजना राजस्व व्यय का राजस्व व्यय से अनुपात (23 प्रतिशत) गत वर्ष (22 प्रतिशत) की तुलना में एक प्रतिशत अधिक रहा।

1.8.3.2 आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

चालू वर्ष के दौरान आभिराव्य में ₹ 8,919 करोड़ की वृद्धि मुख्यत: सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 1,841 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 1,524 करोड़), विद्युत (₹ 1,462 करोड़), पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (₹ 943 करोड़), ब्याज अदायगियाँ (₹ 723 करोड़), पुलिस (₹ 550 करोड़), चिकित्सा एंव लोक स्वास्थ्य (₹ 307 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 221 करोड़), शहरी विकास (₹ 170 करोड़), चुनाव (₹ 164 करोड़), जलापूर्ति एवं सफाई (₹ 140 करोड़) एवं सड़क तथा सेतु (₹ 138 करोड़) के कारण हुई।

आभिराव्य राजस्व व्यय का 77 प्रतिशत एवं कुल व्यय का 65 प्रतिशत रहा।

तेरहवें वित्त आयोग और राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन की तुलना में वास्तविक आभिराव्य एवं आराव्य निम्नानुसार रहे।

तालिका 1.22: तेरहवें वित्त आयोग एवं एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन की तुलना में आभिराव्य एवं आराव्य

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किया गया आंकलन	राजस्थान सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किया गया आंकलन	वास्तविक व्यय
आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय	35,657	58,935	58,146
आयोजना राजस्व व्यय	लागू नहीं	17,260	17,364

स्रोत: वित्त लेखे, बजट प्रपत्र एवं तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन

वास्तविक आभिराव्य तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन से ₹ 22,489 करोड़ (63 प्रतिशत) अधिक तथा राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 789 करोड़ (1.3 प्रतिशत) कम रहा। वास्तविक आराव्य एमटीएफपीएस में किये गये आंकलन से ₹ 104 करोड़ अधिक रहा।

1.8.4 मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम/योजनाएँ

फ्लैगशिप कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी बुनियादी आधारभूत संरचना का निर्माण करने के उद्देश्य से बुनियादी सेवाओं को, सभी को उपलब्ध कराने के लिए तथा गरीबी कम करने के उद्देश्य से लागू किये जाते है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रमों को मजबूती के साथ लागू/पुर्नोत्थान करती है। फ्लैगशिप कार्यक्रमों/योजनाओं के पीछे उद्देश्य जनता के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाना है।

योजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा (जून 2014) दी गई सूचना के अनुसार, 24 केन्द्रीय एवं राज्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों/योजनाओं के सम्बन्ध में ₹ 20,069.29 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.23: फ्लैगशिप कार्यक्रमों/योजनाओं में बजट अनुमान तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	फ्लैगशिप कार्यक्रमों/ योजनाओं का प्रकार	कार्यक्रमों/ योजनाओं की संख्या	बजट प्रावधान		वास्तविक व्यय		बचत
			केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	
1	2	3	4	5	6	7	(4+5)-(6+7) =8
1.	केन्द्रीय	15	14,070.29	3,954.93	10,160.63	4,179.58	3,685.01
2.	राज्य	9	-	2,044.07	-	1,679.90	364.17
	योग	**24**	**14,070.29**	**5,999.00**	**10,160.63**	**5,859.48**	**4,049.18**

यह पाया गया है कि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार बजट अनुमान की तुलना में 12.65 प्रतिशत से 46.79 प्रतिशत तक व्यय में कमी हुयी है:

तालिका 1.24: फ्लैगशिप कार्यक्रमों/योजनाओं में वृहद कमी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रमों/ योजनाओं का नाम	बजट अनुमान	कुल व्यय	प्रतिशत के रूप में व्यय में कमी
(अ)	**केन्द्रीय आयोजना**			
1	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	4,850.00	2,580.74	46.79
2	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	1,325.88	955.97	27.90
3	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ	1,496.33	1,121.02	25.08
4	मिड-डे-मील	750.00	655.14	12.65
5	सर्व शिक्षा अभियान	3,664.02	3,147.00	14.11
6	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	70.00	59.44	15.09
7	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन	728.50	512.98	29.58
8	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	324.52	209.29	35.51
9	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	346.80	189.78	45.28
	योग (अ)	**13,556.05**	**9,431.36**	**29.80**
(ब)	**राज्य आयोजना**			
1	मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना	342.13	208.22	39.14
2	मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना	88.10	51.80	41.20
3	राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास योजना	1,055.80	652.01	38.24
4	मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	77.70	42.50	45.30
	योग (ब)	**1,563.73**	**954.53**	**38.96**
	महायोग (अ+ब)	**15,119.78**	**10,385.89**	**31.31**

यह देखा गया है कि कुछ फ्लैगशिप कार्यक्रमों/योजनाओं में व्यय में अत्यधिक कमी हुयी है। 31 प्रतिशत की सीमा तक निधियों का अनुपयोगी (₹ 4,733.89

करोड़[35]) रहना संबंधित विभागों द्वारा निष्पादन और निगरानी के अभाव जैसी कमियों को इंगित करता है।

1.9 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पश्च-एफआरबीएम ढांचें में, राज्य से अपने राजकोषीय घाटे को निम्न स्तरों पर रखने के साथ अपने पूँजीगत व्यय/निवेश (कर्जे तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करने की भी अपेक्षा की जाती हैं। इसके साथ ही बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के संक्रमण हेतु, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करने एवं उधार लिए गए कोषों की लागत को, अपने बजट में अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य के रूप में दिखाने के स्थान पर वसूल करने के उपाय प्रारम्भ करने हैं तथा उसे वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित उपाय करने की आवश्यकता होती है। यह भाग गत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेश तथा अन्य पूँजीगत व्यय के विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.9.1 सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

मार्च 2014 के अन्त तक ₹ 5,584.37 करोड़ के पूँजीगत परिव्यय से पूर्ण की गयी 6 वृहद् एवं 11 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं ***(परिशिष्ट 1.8)*** के वित्तीय परिणामों से प्रकट हुआ कि परियोजनाओं से वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त किया गया राजस्व (₹ 49 करोड़) पूँजीगत व्यय का केवल 0.88 प्रतिशत था। यह प्रत्यक्ष कार्यचालन व्ययों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 232.63 करोड़) तथा ब्याज प्रभार (₹ 533.28 करोड़) को पूरा करने के पश्चात् परियोजनाओं ने ₹ 716.91 करोड़ की निवल हानि उठायी।

राजस्थान में इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना (इगांनप), निष्पादनाधीन सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और इसके विभिन्न चरण गत वर्षों में पूर्ण किये जा चुके हैं। मार्च 2014 के अन्त तक इगांनप पर पूँजीगत व्यय ₹ 4,362.40 करोड़ था। इगांनप से वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त किया गया राजस्व ₹ 19.32 करोड़, पूँजीगत व्यय का मात्र 0.44 प्रतिशत था। यह राजस्व कुल कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 127.77 करोड़) एवं ब्याज प्रभार के ₹ 424.18 करोड़ के संदर्भ में भी नगण्य (3.5 प्रतिशत) था। परियोजना ने ₹ 532.63 करोड़ की निवल हानि उठायी।

राज्य में गंग नहर दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। मार्च 2014 के अन्त तक गंग नगर पर पूँजीगत व्यय ₹ 507.61 करोड़ था। वर्ष 2013-14 के दौरान

[35] ₹ 15,119.78 करोड़ - ₹ 10,385.89 करोड़ = ₹ 4,733.89 करोड़।

गंग नहर से प्राप्त किया गया राजस्व ₹ 4.44 करोड़ था जो कि कार्यचालन तथा अनुरक्षण व्यय (₹ 19.22 करोड़) एवं ब्याज प्रभार (₹ 48 करोड़) की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। परियोजना ने ₹ 62.78 करोड़ की निवल हानि उठायी।

इन परियोजनाओं पर भारी हानियों का मुख्य कारण विगत 5 वर्षों से बिना संशोधन के प्रचलित कम पानी की दरें है। सिंचाई विभाग ने बताया कि यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

1.9.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2014 को अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग-वार सूचना निम्न प्रकार है:

तालिका 1.25: अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की कुल संख्या	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की मूल स्वीकृत लागत	36 परियोजनाओं जिन्हें संशोधित किया गया, की मूल अनुमानित लागत		36 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	36 संशोधित परियोजनाओं की लागत वृद्धि	31 मार्च 2014 को सभी अपूर्ण परियोजनाओं पर संचित वास्तविक व्यय
			संख्या	राशि			
जल संसाधन विभाग/ परियोजनाएं	51	4,246.81	16	864.70	3,429.60	2,564.90	3,020.25
सार्वजनिक निर्माण विभाग/ परियोजना	84	1,824.88	8	114.65	138.04	23.39	825.53
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	84	17,443.07	12	2,978.96	4,887.96	1,909.00	4,547.59
योग	**219**	**23,514.76**	**36**	**3,958.31**	**8,455.60**	**4,497.29**	**8,393.37**

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च 2014 को 219 अपूर्ण परियोजनाएं (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) थीं जिनमें ₹ 8,393 करोड़ की राशि अवरूद्ध थी। इनमें से 41 परियोजनाएँ (₹ 5,224 करोड़) विगत 5 से 20 वर्षों की अवधि से अपूर्ण थी जिसमें से 30 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत ₹ 3,626 करोड़ (आरम्भिक लागत) से 121 प्रतिशत बढ़कर ₹ 8,013 करोड़ हो गयी। इस प्रकार कुल लागत वृद्धि ₹ 4,497 करोड़ थी जिसमें से नर्मदा जालौर परियोजना में ही ₹ 467.53 करोड़ से ₹ 2,481.49 करोड़ अर्थात् 431 प्रतिशत (₹ 2,013.96 करोड़) की वृद्धि हुई। सभी अपूर्ण परियोजनाओं/निर्माण कार्यों में

अवरूद्ध राशि (₹ 8,393.37 करोड़) राज्य के संचित पूँजीगत व्यय (₹ 92,883.17 करोड़) का 9 प्रतिशत थी।

निम्न वर्णित 8 परियोजनाओं (प्रत्येक परियोजना ₹ 10 करोड़ से अधिक) में विगत वर्ष 2013-14 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। मार्च 2013 तक किया गया व्यय और मार्च 2014 तक किया गया संचित व्यय समान अर्थात ₹ 49.59 करोड़ रहा।

तालिका 1.26: अपूर्ण परियोजनाओं पर वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय नहीं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	वास्तविक स्वीकृति लागत	31.03.2014 को संचित वास्तविक व्यय
	सार्वजनिक निर्माण विभाग की परियोजनाऐं			
1.	एमडीएम अस्पताल, जोधपुर में जनाना तथा बाल विभाग की क्रमबद्व स्थापना	2009-10	34.91	22.58
2.	1000 सजायाफ्ता कैदियों, कोटा के लिए नया जेल भवन	2011-12	31.12	0.02
3.	1000 सजायाफ्ता कैदियों, दौसा के लिए नया जेल भवन	2011-12	31.12	0.04
4	बयाना में राजकीय बालिका कॉलेज तथा छात्रावास का निर्माण	2011-12	10.64	0.02
5.	1000 विचाराधीन कैदियों, कोटा के लिए नया जेल भवन	2011-12	20.54	0.03
6.	राजस्थान में एन.एच.-112 (बर-बिलारा-जोधपुर) पर चार लेन के चौड़ाई के लिए भूमि अधिग्रहण किमी 0/0 से किमी 110/0	2010-11	24.07	0.01
	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की परियोजनाऐं			
7.	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना (फेज-।।)	2012-13	202.36	15.84
8.	यूडब्ल्यूएसएस जालौर, जालौर कस्बे को मुख्य ओएमआर पम्पिंग ट्रंक	2012-13	62.20	11.05
	योग		**413.96**	**49.59**

स्रोत: वित्त लेखे

उक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि लोक निर्माण विभाग की पाँच परियोजनाएं जो 2010-11 तथा 2011-12 में प्रारम्भ की गयी थी, पर ₹ 117.49 की स्वीकृत लागत के सन्दर्भ में नगण्य (₹ 0.12 करोड़) व्यय किया गया।

निर्धारित समय में परियोजनाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण न केवल समाज को मिलने वाले सम्भावित लाभ में विलम्ब हुआ बल्कि इनकी पूर्णता में समय वृद्धि के कारण लागत में भी वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई।

1.9.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2014 तक सरकार ने 44 सरकारी कम्पनियों (₹ 22,136.66 करोड़), 7 सांविधिक निगमों (₹ 684.34 करोड़), 3 ग्रामीण बैंकों (₹ 73.69 करोड़), 25 ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों (₹ 115.65 करोड़) और सहकारी बैंकों तथा समितियों (₹ 507.66 करोड़) में ₹ 23,518 करोड़ का निवेश किया। उक्त निवेश में अकार्यशील सांविधिक निगमों में ₹ 19.37 करोड़ एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 10.83 करोड़ का निवेश भी शामिल है। इस निवेश पर विगत तीन वर्षों में औसत प्रतिलाभ 0.1 से 0.4 प्रतिशत रहा जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 7.3 से 7.7 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज चुकाया **(तालिका 1.27)**।

उधार ली गई निधियों का निवेश के लिए लगातार उपयोग, जिससे पर्याप्त वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं होता है, असाध्य वित्तीय स्थिति की ओर ले जायेगा।

तालिका 1.27: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	9,533.57	11,112.16	13,920.78	18,753.33	23,518.00
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	37.26	20.76	57.58	57.18	24.60
प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर[36] (प्रतिशत)	7.7	7.7	7.7	7.4	7.3
ब्याज दर एवं प्रतिलाभ का अन्तर (प्रतिशत)	7.3	7.5	7.3	7.1	7.2

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य सरकार का सरकारी कम्पनियों, ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों और समितियों में ₹ 4,764.67 करोड़ का निवल निवेश था। जिसमें से ₹ 4,103 करोड़ का निवेश हानि में चल रही सात सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों में किया गया।जिन क्षेत्रों/कम्पनियों में बड़ा अंश पूँजी निवेश किया गया वे मुख्यत: जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1000.25 करोड़); अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 910.18 करोड़); जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 901.57 करोड़); राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 740 करोड़); जयपुर मैट्रो रेल कॉरपोरेशन, जयपुर (₹ 447 करोड़); राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 326 करोड़) तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर (₹ 150 करोड़) थी। 31 मार्च 2014 तक सरकार ने पाँच

[36] गणना की पद्धति के लिए शब्दावली पृष्ठ 199 पर देखें।

विद्युत कम्पनियों में ₹ 19,844.09 करोड़ (कुल निवेश का 84 प्रतिशत) का निवेश किया था।

राज्य सरकार के निवेश में 41 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 22,125.83 करोड़ सम्मिलित थे जिनमें से केवल 6 कम्पनियों ने ₹ 394.70 करोड़ के निवेश के समक्ष कुल ₹ 21.39 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

राशि ₹ 20,605.47 करोड़ का कुल निवेश, 3 सांविधिक निगमों, 1 ग्रामीण बैंक, 18 सरकारी कम्पनियों एवं 6 ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों में किया गया और इन कम्पनियों की संचित हानि की राशि ₹ 59,330.73 करोड़ थी। भारी हानि उठाने वाले संगठन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर (₹ 1,650.56 करोड़), राजस्थान परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली (₹ 684.90 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 1,064.39 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 1,629.21 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 17,593.38 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 17,291.42 करोड़) एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 18,407.88 करोड़) थे।

राज्य स्वामित्व वाले कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारी हानियों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को उनके कामकाज की समीक्षा पर विचार करना चाहिए ताकि उनकी हानियों को कम किया जा सके, और उनकी मजबूती के साथ लाभ प्राप्ति करने के सम्बन्ध में समुचित रणनीति बनायी जानी चाहिये।

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को अकार्यशील कम्पनियों को बन्द करने के लिए मार्च 2011 तक एक रोडमैप तैयार करने की सिफारिश की थी। तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि सरकार द्वारा छः अकार्यशील सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों[37] के सम्बन्ध में कोई रोडमैप तैयार नहीं किया गया।

1.9.4 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियाँ भी निष्पादित की जाती है। सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति, वर्ष जब तक के प्रोफार्मा लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया, इन उपक्रमों में किये गये पूँजीगत निवेश पर प्रतिलाभ के साथ-साथ निवल लाभ/हानि को ***परिशिष्ट 1.9 एवं 3.4*** में दिया गया है। यह दृष्टिगत हुआ कि

[37] (i) राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुरः (₹ 1,936.45 लाख), (ii) राजस्थान राज्य मण्डी विकास निगम, जयपुरः (₹ 0.65 लाख), (iii) राजस्थान जल प्रदाय और मल निकास निगम, जयपुरः (₹ 0.08 लाख), (iv) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुरः (₹ 1,061.45 लाख), (v) राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुरः (₹ 16.75 लाख) एवं (vi) राजस्थान राज्य विद्युत निगम, जयपुर (₹ 5.00 लाख)।

राज्य सरकार द्वारा 10 उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष के अन्त तक जिस तक उनके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया, राशि ₹ 12,369.23 करोड़ का निवेश किया गया था। इनमें से मात्र 2 उपक्रमों ने 2012-13 के दौरान राशि ₹ 29.47 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया जबकि लगातार हानि में चल रहे शेष 8 उपक्रमों की विगत पाँच वर्षो से अधिक समय से संचित हानि ₹ 9,877.38 करोड़ रही।

1.9.5 राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इनमें से बहुत-सी संस्थाओं/संगठनों को कर्जे तथा अग्रिम भी प्रदान करती रही है। 31 मार्च 2014 को बकाया कर्जे तथा अग्रिम और विगत तीन वर्षो के दौरान ब्याज प्राप्तियों के समक्ष ब्याज अदायगियों को **तालिका 1.28** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.28: सरकार द्वारा दिये गये कर्जों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

कर्जे की मात्रा/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	**3,318**	**3,198**	**3,479**	**4,508**
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	1,109	2,412	189	812
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	1,229	1,102	191	316
अन्तिम शेष	**3,198**	**4,508**	**3,477**	**5,004**
निवल वृद्धि	(-) 120	1,310	(-) 2	496
ब्याज प्राप्तियाँ	130	150	-	143
ब्याज प्राप्तियों का बकाया कर्जे तथा अग्रिम से प्रतिशत	4.0	3.9	-	3.0
ब्याज अदायगियों का राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं से प्रतिशत	7.7	7.4	-	7.3
ब्याज अदायगियों तथा ब्याज प्राप्तियों में अन्तर (प्रतिशत)	(-) 3.7	(-) 3.5	-	(-) 4.3

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य द्वारा उच्च दर पर उधार लिये जा रहे हैं जबकि दिये गये उधारों पर बहुत कम दर से ब्याज अर्जित किया गया।

₹ 5,004 करोड़ के कुल कर्ज एवं अग्रिम में से, विद्युत परियोजनाओं को ₹ 3,105 करोड़ (62 प्रतिशत) के कर्ज एवं अग्रिम दिये गये। वर्ष के दौरान कर्जो तथा अग्रिमों के संवितरण की राशि वर्ष 2012-13 के ₹ 2,412 करोड़ से

वर्ष 2013-14 में ₹ 1,600 करोड़ कम होकर ₹ 812 करोड़ रह गयी। वर्ष के दौरान दी गई कुल ऋण राशि में से सामाजिक सेवाओं के लिए ₹ 304 करोड़ एवं आर्थिक सेवाओं के लिए ₹ 508 करोड़ अन्तरित किये गये।

चालू वर्ष के दौरान कर्जे का मुख्य अंश सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान आवास विकास आधारभूत संरचना लिमिटेड (₹ 215 करोड़) तथा आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड (₹ 138 करोड़), राजस्थान राज्य सहकारिता डेयरी महासंघ लिमिटेड (₹ 79 करोड़), खाद्य भण्डारण तथा भण्डारगृह के अन्तर्गत गोदामों का निर्माण (₹ 70 करोड़) एवं तिलम संघ (₹ 70 करोड़) को दिया गया। इन संस्थाओं ***(परिशिष्ट 1.10)*** द्वारा गत 11 वर्ष अथवा अधिक वर्षों से ₹ 68.04 करोड़ से अधिक का ऋण नहीं चुकाया गया।

1.9.6 निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य को उपलब्ध संसाधन

पर्याप्त आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों के लिए जनता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये निजी जन सहभागिता (पीपीपी) सरकार या वैधानिक ईकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य ढांचा प्रदान करने की एक व्यवस्था है। राजस्थान सरकार द्वारा योजना विभाग में पीपीपी प्रकोष्ठ की स्थापना (जुलाई 2007) की गई जो कि आधारभूत विकास पर अधिकार प्राप्त समिति (ईसीआईडी) के सचिवालय के रूप में कार्य करने और राज्य में पीपीपी से संबंधित सभी सूचनाओं के भण्डार के रूप में कार्य करने के लिए पीपीपी एवं राज्य सरकार के मध्य समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। प्रशासनिक विभागों को ईसीआईडी के अनुमोदन के लिए अपने प्रस्तावों को पीपीपी प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करना निवेदित किया गया है।

योजना आयोग के पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (जुलाई 2014) के अनुसार राज्य में वर्ष 1995-2014 के दौरान ₹ 17,038.68 करोड़ की लागत राशि की 234 परियोजनाऐं विभिन्न क्षेत्रों में हाथ में ली गई। इसमें से 31 मार्च 2014 तक 153 परियोजनाऐं (₹ 9,236.52 करोड़) पूर्ण हो चुकी हैं ***(परिशिष्ट 1.13(अ))*** एवं सड़क, शहरी आधारभूत संरचना, विद्युत, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित 81 परियोजनाऐं (₹ 7,802.16 करोड़) वर्ष 2013-14 के अन्त तक प्रगति पर थी ***(परिशिष्ट 1.13(ब))***। इसके अतिरिक्त, सड़क, शहरी आधारभूत संरचना, विद्युत, जल, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित 83 परियोजनाऐं (₹ 14,193.85 करोड़) भविष्य के लिए बनायी गई हैं ***(परिशिष्ट 1.13 (स))***। पूर्ण हो चुकी, प्रगतिशील एवं भविष्य में ली जानी वाली पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण निम्न **तालिका 1.29** में दिया गया है:

तालिका 1.29: क्षेत्र-वार निजी जन सहभागिता परियोजनाऐं

(₹ करोड़ में))

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण हो चुकी		प्रगतिशील		भविष्य के लिए योजना	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	सड़क	57	3,440.97	13	4,903.51	40	3,976.87
2.	शहरी आधारभूत संरचना	21	136.07	30	1,191.19	25	7,919.75
3.	विद्युत	1	5,000.00	5	1,110.93	1	219.58
4.	जल	1	46.00	-	-	4	1,740.00
5.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	-	-	2	347.87	-	-
6.	सामाजिक	39	502.03	26	176.92	2	26.00
7.	अन्य	34	111.45	5	71.74	11	311.65
	योग	**153**	**9,236.52**	**81**	**7,802.16**	**83**	**14,193.85**

स्रोत: योजना विभाग, राजस्थान सरकार

- ***लेखा और लेखापरीक्षा की पर्याप्तता***

पाँच समझौता ज्ञापनों[38] की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि केवल ''राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेज कैरिज सेवाओं के संचालन'' में ही वार्षिक लेखा परीक्षित लेखाओं और अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने के प्रावधानों को शामिल किया गया है। अन्य समझौता ज्ञापनों में सरकारी स्तर पर वार्षिक लेखा परीक्षित लेखाओं की संवीक्षा के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

- ***राजस्थान परियोजना विकास निधि/राजस्थान*** आधारभूत संरचना ***परियोजना विकास निधि***

योजना विभाग में राजस्थान परियोजना विकास निधि (आरपीडीएफ) वर्ष 2003 से 31 मार्च 2008 को (विस्तार अवधि 31 मार्च 2009) समाप्त पाँच वर्ष की अवधि हेतु ₹ 4.50 करोड़ के कोष के साथ ₹ 2 करोड़ की परिचालन निधि[39] रखते हुये

[38] (i) मण्डी यार्ड, सुमेरपुर, जिला पाली पर मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज की अनुरक्षण एवं मरम्मत (ओ एण्ड एम), (ii) सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट प्लांट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग बायो कम्पोस्ट प्लांट सेवापुरा, जयपुर, (iii) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, यूनिट-II देहलावास, जयपुर में बायोगैस बोटलिंग प्लांट के लिए पीपीपी प्रोजेक्ट की स्थापना, (iv) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेज कैरिज सेवाओं का संचालन तथा (v) झुन्झुनू-उदयपुरवाटी-खण्डेला सड़क।

[39] राजस्थान सरकार का अंश: ₹ 1.50 करोड़; आईएलएण्डएफएस का अंश: ₹ 0.25 करोड़ एवं एचडीएफसी लिमिटेड का अंश: ₹ 0.25 करोड़।

पीपीपी परियोजनाओं के लिए परियोजना तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु बनाया गया। आरपीडीएफ की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि:

- आरपीडीएफ के पीडी खाते में पड़ी राशि ₹ 95.50 लाख को संवितरित नहीं किया गया (31 मार्च 2014)।

- परियोजना विकास कम्पनी (पीडीकोर) को ₹ 1 करोड़ का ऋण एक वर्ष के भीतर पुनर्भुगतान करने हेतु जनवरी 2008 में दिया गया था हालांकि जून 2014 के अन्त तक परियोजना विकास कम्पनी द्वारा ₹ 22.23 लाख का भुगतान किया जाना बकाया था। तथापि, इस राशि पर देय ब्याज का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा था।

इसके अलावा, ऋण योग्य और विश्वसनीय पीपीपी परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिए ₹ 25 करोड़ की प्रारम्भिक निधि के साथ राजस्थान आधारभूत परियोजना विकास निधि नाम से एक नया कोष बनाया गया (अगस्त 2011)। यह प्रकट हुआ कि अपनी स्थापना के बाद से पीपीपी की वित्त पोषण परियोजना लागत के लिए कोष का उपयोग नहीं किया गया। योजना विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2014) कि प्रशासनिक विभाग से दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव पूर्ण रूप से नहीं आने के कारण राजस्थान आधारभूत परियोजना विकास निधि से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई।

मामले को राज्य सरकार को (सितम्बर 2014) भेजा गया था, उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2014)।

1.10 परिसम्पत्तियां और देयताएं

1.10.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं में वृद्धि एवं उनका संघटन

विद्यमान सरकारी लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियाँ यथा भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को आवश्यक रूप से समाहित करते है। ***परिशिष्ट 1.5*** 31 मार्च 2013 के अनुरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2014 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के सार को प्रस्तुत करता है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्य रूप से आन्तरिक कर्जे, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष समाविष्ट है।

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल दायित्व से अभिप्राय: राज्य की समेकित निधि और सामान्य प्रावधायी निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत सुनिश्चित देयताओं से है।

सम्पत्तियों और देयताओं के घटकों की वृद्धि दर का सार **तालिका 1.30** में दिया गया है:

तालिका 1.30: सम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					सम्पत्तियाँ				
		2012-13	**2013-14**	**वृद्धि प्रतिशत**			**2012-13**	**2013-14**	**वृद्धि प्रतिशत**
समेकित निधि		**76,953.94**	**87,329.76**	**13**	**समेकित निधि**		**83,737.12**	**97,887.19**	**17**
अ	आन्तरिक ऋण	69,972.94	80,580.93	15	अ	कुल पूँजीगत परिव्यय	79,228.78	92,883.17	17
ब	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	6,981.00	6,748.83	(-) 3	ब	ऋण एवं अग्रिम	4,508.34	5,004.02	11
आकस्मिकता निधि		**200.00**	**200.00**	**-**					
लोक लेखे		**41,660.28**	**44,020.51**	**6**	**लोक लेखे**		**38.56**	**25.61**	**(-) 34**
अ	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	26,744.43	29,265.67	9	अ	अग्रिम	3.74	2.89	(-) 23
ब	जमा	12,576.12	12,153.97	(-) 3	ब	प्रेषण	-	-	-
स	आरक्षित निधियाँ	2,331.20	2,598.67	11	स	उचन्त तथा विविध	34.82	22.72	(-) 35
द	प्रेषण	8.53	2.20	(-) 74	**नकद शेष (चिन्हित निधि निवेश सहित)**		**12,886.72**	**10,446.44**	(-) 19
					योग		**96,662.40**	**1,08,359.24**	**12**
					राजस्व लेखा में घाटा		**22,151.82**	**23,191.03**	5
योग		**1,18,814.22**	**1,31,550.27**	**11**	**योग**		**1,18,814.22**	**1,31,550.27**	**11**

स्रोत: वित्त लेखे

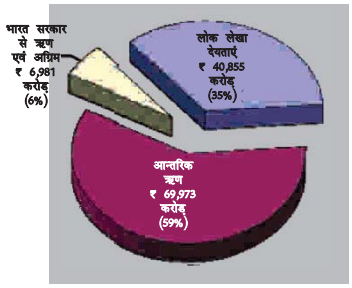
परिसम्पत्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 के 18 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013-14 में 12 प्रतिशत रह गयी, जबकि देयताऐं दोंनों वर्षों में समान रूप से 11 प्रतिशत रही।

1.10.2 राजकोषीय देयताएं

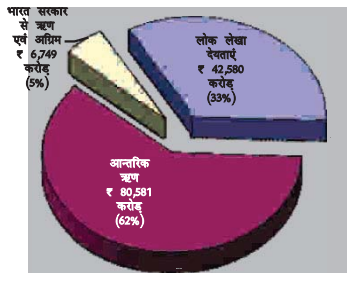
राज्य की बकाया राजकोषीय देयतायें 2008-09 में ₹ 84,023 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 1,29,910 करोड़ हो गयी जिससे 2009-14 के दौरान 10.9 प्रतिशत

की औसत वार्षिक वृद्धि दर्शित हुई। गत वर्ष के समक्ष चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं के संघटकों को **चार्ट 1.10** तथा **1.11** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.10: 01.04.2013 को बकाया राजकोषीय देयताओं के संघटक



चार्ट 1.11: 31.03.2014 को बकाया राजकोषीय देयताओं के संघटक



स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय देयतायें गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत (₹ 12,101 करोड़) बढ़ी। **वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय देयताओं (कुल बकाया ऋण) का जीएसडीपी से अनुपात 25.3 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2013-14 के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित (राजस्थान के लिए) 37.3 प्रतिशत[40] के मानक से कम था। ये देयताएं वर्ष 2013-14 के अंत में राजस्व प्राप्तियों का 1.74 गुणा तथा राज्य स्व-संसाधनों का 2.76 गुणा थीं।**

वर्ष 2013-14 के दौरान, वार्षिक वृद्धिजन्य उधार[41] (₹ 12,101 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 13,737 करोड़) से कम थी।

1.10.3 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.31 में चालू वर्ष के दौरान रोकड़ शेष तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों में से किये गये निवेशों को दर्शाया गया है।

40 तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन (परिशिष्ट 9.1)

41 इसमें खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्धित ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से ऋण, केन्द्रीय सरकार से ऋण ईएपी सहित, राज्य आयोजनागत योजनाओ एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए कोई ऋण, लोक लेखे में अल्प बचत, प्रावधायी निधि, आरक्षित निधियाँ एवं जमाओं इत्यादि के अन्तर्गत अन्तरित राशि के कारण उत्पन्न दायित्व शामिल है।

तालिका 1.31: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

	वृद्धि/कमी (-)	प्रारम्भिक शेष 1.4.2013 को	अन्तिम शेष 31.3.2014 को
(अ) सामान्य रोकड़ शेष			
कोषालयों में रोकड़	-	0.05	0.05
रिजर्व बैंक में जमा	48.06	(-) 41.39	6.67
स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण	1.04	(-) 1.41	(-) 0.37
योग	49.10	**(-) 42.75**	**6.35**
रोकड़ शेष निवेश खाते में रखे गये निवेश	(-) 3,130.26	12,127.82	8,997.56
योग (अ)	(-) 3,081.16	**12,085.07**	**9,003.91**
(ब) अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश			
विभागीय अधिकारियों यथा सार्वजनिक निर्माण विभागीय अधिकारियों, वन विभागीय अधिकारियों, जिलाधिकारियों के पास रोकड़	0.02	1.05	1.07
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिये स्थायी पेशगियां	(-) 0.30	3.82	3.52
आरक्षित निधियों में निवेश	641.16	796.78	1,437.94
योग (ब)	**640.88**	**801.65**	**1,442.53**
महायोग (अ) + (ब)	**(-) 2,440.28**	**12,886.72**	**10,446.44**

स्रोत: वित्त लेखे

चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार का रोकड़ शेष ₹ 10,447 करोड़ था जो कि गत वर्ष की तुलना में ₹ 2,440 करोड़ (19 प्रतिशत) की कमी को दर्शाता हैं। अधिशेष रोकड़ शेष मुख्यत: वर्ष 2013-14 के दौरान लिये गये ₹ 8,800 करोड के बाजार से कर्जे के कारण रहा।

- ***रोकड़ शेषों का निवेश***

तेरहवें वित्त आयोग ने पैरा 7.123 में सुझाया कि वृहद शेषों वाले राज्यों को नये उधार लेने से पूर्व अपने विद्यमान नकद शेषों का उपयोग करने का निर्दिष्ट प्रयास करना चाहिये, क्योंकि बहुत से राज्यों का नकद शेष एक माह के कुल व्यय से अधिक था। यद्यपि, राज्यों को निर्बाध व्यय के लिये कुछ तरलता की आवश्यकता होती है, किन्तु, एक स्तर से अधिक रोकड़ संचयन अप्रभावी प्रबंधन को निरूपित करता है, क्योंकि इससे परिहार्य ब्याज दायित्व का भार बढ़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तथ्य को दोहराया है एवं सलाह दी है कि राज्यों को अपने रोकड़ शेषों का अधिक कुशलता से प्रबंधन करना चाहिये।

नकद शेषों[42], लिये गये बाजार ऋणों एवं बजटीय व्यय की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

[42]. इसमें कोषालयों में रोकड़, रिजर्व बैंक में जमा, स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण, विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़, स्थायी अग्रिम, नगद शेषों से निवेश तथा पृथक आरक्षित निधियों से निवेश सम्मिलित है।

तालिका 1.32: नकद शेष, बाजार ऋण और बजटीय व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1 अप्रैल को नकद शेष	5,165.92	2,361.65	6,087.76	9,785.11	12,886.72
31 मार्च को नकद शेष	2,361.65	6,087.76	9,785.11	12,886.72	10,446.44
भारत सरकार के कोषालय बिलों/प्रत्याभूतियों में निवेशित नकद शेष	2,675.50	5,708.51	9,307.62	12,127.66	8,997.40
लिये गये बाजार ऋण	7,500.00	6,180.00	4,500.00	8,041.10	8,800.00
कुल बजटीय व्यय	46,790.00	51,036.00	60,524.00	71,956.00	90,440.00
मासिक औसत बजटीय व्यय	3,899.00	4,253.00	5,044.00	5,996.00	7,537.00

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रलेख

वर्ष 2011-14 के दौरान, सरकार द्वारा रोकड़ शेष की सुविधाजनक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, बाजार ऋणों को कम करते हुए ब्याज भुगतान भार को सार्थक रूप से कम किया जा सकता था।

राज्य सरकार के रोकड़ शेष अधिशेष स्वत: ही 5 प्रतिशत वार्षिक की औसत ब्याज दर से 14 दिवसीय कोषालय बिलों में एवं आंशिक 91, 181 एवं 364 दिवसीय रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के नीलामी कोषालय बिलों में निवेशित हो जाते हैं। वर्ष 2013-14 के अंत तक, ₹ 8,997.40 करोड़ की राशि भारत सरकार के कोषालय बिलों/प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी, जिन पर ₹ 906.57 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया। आगे, ₹ 1,442.53 करोड़ का निवेश चिन्हित निधियों में भी किया गया।

1.10.4 आरक्षित निधि के अन्तर्गत लेन-देन

राज्य सरकार की राज्य बजट नियमावली, के पैरा संख्या 4.5 के अनुसार, आरक्षित और आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लेखों (लोक लेखे) के अन्तर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती है। इन निधियों का वित्तपोषण राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेन्सियों से प्राप्त अंशदान अथवा अनुदान से होता है। इन निधियाँ को आगे दो भागों में विभक्त किया गया है (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ और (ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ। ये निधियाँ राज्य की समेकित निधि के संबंधित व्यय शीर्ष को नामे करके राशि अन्तरित कर बनाई जाती हैं। इसके पश्चात, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का संबंधित आरक्षित निधि से पुनर्भरण किया जाता है।

31 मार्च 2014 को, लोक लेखा में ₹ 2,598.67 करोड़[43] की 29 आरक्षित निधियाँ थी जिसमें ब्याज वाली 8 निधियाँ ₹ 210.33 करोड़ शामिल थीं, वर्ष 2013-14 के

[43] इसमें शामिल थे (i) राज्य आपदा मोचन निधि: ₹ 1,068.82 करोड़; (ii) गारण्टी मोचन निधि: ₹ 1,060.42 करोड़; (iii) संसाधन विकास निधि: ₹ 180.89 करोड़; (iv) राज्य सड़क एवं सेतु निधि: ₹ 98 करोड़ तथा (v) ह्रास आरक्षित निधि के अन्तर्गत जल कार्य: ₹ 89.37 करोड़।

दौरान, राज्य की आरक्षित निधियों में ₹ 1,882.97 करोड़ जमा किये गये थे जिसमें मुख्यत: राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 770.88 करोड़), राज्य सड़क तथा सेतु निधि (₹ 275 करोड़), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी निधि (₹ 388.50 करोड़) तथा गारन्टी मोचन निधि (₹ 448.59 करोड़) शामिल थे।

राज्य बजट नियमावली के पैरा 4.5 में दिये गये प्रावधानों के प्रतिकूल, राज्य सरकार ने संचित निधि से संबंधित सेवा मुख्य शीर्ष को व्यय नामे करने की बजाय राजस्थान रोड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट लिमिटेड के पीडी खाते को सीधे राज्य सड़क एवं सेतु निधि से ₹ 41.68 करोड़ हस्तान्तरित किये। इस कारण वास्तविक रूप से व्यय किस तरीके से किया गया सुनिश्चित या निश्चित करना संभव नहीं था।

यह देखा गया कि राज्य सरकार को 31 मार्च 2013 को अन्य देय ब्याज वाली निधियों में पड़े ₹ 122.41 करोड़ पर ₹ 9.18 करोड़ (वित्त एवं मार्गोपाय अग्रिमों पर औसत ब्याज दर को 7.5 प्रतिशत पर परम्परागत अनुमानित मानते हुये) का ब्याज देना था, जो नहीं दिया गया।

असंचालित आरक्षित निधियाँ

वर्ष 2013-14 के वित्त लेखे के अनुसार, 11 आरक्षित निधियाँ (₹ 10.45 करोड़) पाँच वर्षों से अधिक समय से असंचालित थी। इनमें से ₹ 6.22 करोड़ की छ: निधियाँ[44] ब्याज वाली तथा ₹ 4.23 करोड़ की शेष पाँच निधियाँ[45] बिना ब्याज वाली थी।

1.10.4.1 राज्य आपदा मोचन निधि

राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ), 1 अप्रैल 2010 को विद्यमान आपदा सहायता निधि के स्थान पर संस्थापित की गयी। निधि के लिए वर्ष 2010-15 के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा ₹ 3,319 करोड़[46] का आकार निर्धारित किया गया,

[44] (i) सोडियम सल्फेट: ₹ 240.86 लाख, (ii) खनिज विभाग: ₹ 6.17 लाख, (iii) नमक के व्यापार की योजना: ₹ 52.95 लाख, (iv) झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना: ₹ 20.45 लाख, (v) फॉरेस्ट कूप्स की विभागीय प्रबन्धन योजना: ₹ 211.62 लाख, एवं (vi) बांस समुपयोजन योजना: ₹ 89.88 लाख ।

[45] (i) कृषक सुधार निधि: ₹ 0.74 लाख, (ii) विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता से गहन अंडा तथा मुर्गी उत्पादन एंव विपणन केन्द्रों के लिए निधि: ₹ 0.95 लाख, (iii) क्रय विक्रय सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु रिवोल्विंग फण्ड: ₹ 19.58 लाख, (iv) राज्य सड़क सुधार विकास कोष: ₹ 402.08 लाख एवं राजकीय प्रतिभूति मुक्ति निधि: ₹ 0.18 लाख ।

[46] 2010-11: ₹ 600.66 करोड़, 2011-12: ₹ 630.69 करोड़, 2012-13: ₹ 662.22 करोड़, 2013-14: ₹ 695.33 करोड़ तथा 2014-15: ₹ 730.10 करोड़।

इसमें से 75 प्रतिशत हिस्सा राशि भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत हिस्सा राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने अपना-अपना हिस्सा प्रदान किया। 31 मार्च 2014 को एसडीआरएफ में ₹ 1,068.82 करोड़ (वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार द्वारा निवेश नहीं की गयी राशि पर चुकाये गये ब्याज ₹ 26.28 करोड़ के भुगतान सहित) आपदा राहत कार्यों के लिये किये गये व्यय (₹ 913.66 करोड़) के बाद शेष था।

1.10.4.2 प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि

राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 में एक प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि संस्थापित की। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि को संचालित करता है, के दिशा निर्देशों के अनुसार निधि के कॉरपस को बकाया प्रत्याभूतियों के 5 प्रतिशत के आवश्यक स्तर तक बढ़ाना है । 31 मार्च 2014 को प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि के अन्तर्गत ₹ 1,060.42 करोड़ शेष था जोकि बकाया प्रत्याभूति (₹ 85,911.25 करोड़) का 1.23 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान इस निधि से किसी राशि का पुनर्भरण नहीं किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार ने प्रत्याभूति कमीशन के रूप में ₹ 422.44 करोड़ प्राप्त किये जिसे विविध प्राप्तियों के रूप में पुस्तांकित किया गया।

1.10.4.3 समेकित शोधन निधि

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंषा की थी कि राज्य सरकारें सभी ऋणों के परिशोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित एक समेकित शोधन निधि का सृजन करे। भारतीय रिजर्व बैंक, के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को समेकित शोधन निधि में गत वर्ष के अन्त तक बकाया दायित्वों का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत अंशदान करना चाहिये । राजस्थान सरकार ने 2006-07 में समेकित शोधन निधि को संस्थापित किया तथा इसके बाद 2007-08 में इस निधि को बन्द कर दिया।

यह पाया गया कि राजस्थान सरकार के 31 मार्च 2013 को बकाया दायित्वों ₹ 1,17,808.91 करोड़ (लोक ऋण ₹ 76,953.94 करोड़ + लोक लेखा दायित्व ₹ 40,854.97 करोड़) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को इस निधि में अंशदान के लिए ₹ 589.04 करोड़ की निधि की आवश्यकता थी।

1.10.5 आकस्मिक देयताऐं

- ***प्रत्याभूतियों की स्थिति***

प्रत्याभूतियाँ राज्य की समेकित निधि के ऊपर वे आकस्मिक देयताएं हैं जो उधार लेने वाले, जिनके लिये प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक के प्रकरण में होती है।

वित्त लेखे के **विवरण 9** के अनुसार गत तीन वर्षों में राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि तथा बकाया प्रत्याभूतियाँ निम्न प्रकार थी।

तालिका 1.33: राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2011-12	2012-13	2013-14
दी गयी प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि	97,566	1,13,340	1,40,526
दी गयी प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	60,711	75,546	85,911
दी गयी प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि का कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	171.1	169.4	188.7

स्रोत: वित्त लेखे

बकाया प्रत्याभूतियाँ वर्ष 2012-13 में ₹ 75,546 करोड़ से 13.7 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 85,911 करोड़ हो गयी। ₹ 85,911 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियाँ मुख्यत: पाँच विद्युत कम्पनियों (₹ 79,007 करोड़: 92 प्रतिशत), सात सहकारी संस्थाओं (₹ 1,616 करोड़: दो प्रतिशत) एवं दो शहरी विकास एवं आवास (₹ 2,899 करोड़: तीन प्रतिशत) से संबंधित थी। विद्युत कम्पनियों की प्रत्याभूतियाँ बॉण्ड/ऋण पत्रों को जारी करके कर्जे/ओवरड्राफ्ट, द्वारा प्राप्त की गई राशि एवं उस पर निर्दिष्ट दर पर ब्याज को चुकाने के लिए दी गई थीं। वर्ष 2013-14 के दौरान, सभी प्रत्याभूतियों से प्राप्त होने वाली प्रत्याभूति कमीशन राशि ₹ 422 करोड़ सरकार को प्राप्त हुई। बकाया प्रत्याभूतियाँ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का 115 प्रतिशत थीं। वर्ष 2013-14 के दौरान कोई प्रत्याभूति नहीं भुनाई गयी।

- ***बजट से इतर उधार***

राज्य के कर्ज, भारत के संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत विनियमित होते हैं। ***परिशिष्ट 1.5*** में दर्शाई गयी राजकोषीय देयताओं के अतिरिक्त, सरकारी कम्पनियों/निगमों द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतित ऋण का उपयोग किया गया। इन कम्पनियों/निगमों द्वारा प्रायोजित विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये राज्य बजट से बाहर बाजार/वित्तीय संस्थाओं से निधियाँ उधार ली जाती हैं। यद्यपि, राज्य सरकार यह इंगित करती है कि इन कार्यक्रमों के लिये निधियाँ इन कम्पनियों/निगमों द्वारा राज्य बजट से इतर जुटाये संसाधनों से वहन की जाएगीं, तथापि, वास्तव में इनमें से कई संस्थानों द्वारा लिये गये उधार, जिनका पुनर्भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, अन्ततोगत्वा राज्य सरकार की देयताएँ हो जाती हैं, जिसे "बजट से इतर उधार" कहा जाता है, यद्यपि धारा 293(3) के अन्तर्गत बजट से इतर उधार अनुमत्य नहीं हैं।

वित्त विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2014) कि राज्य सरकार ने आवासन तथा नगरीय विकास निगम द्वारा विभिन्न जिला परिषदों को दिये गये ₹ 3,948.66 करोड़ के कर्ज (वर्ष 2013-14 के अन्त तक ₹ 2,520.44 करोड़ की प्रत्याभूतियाँ बकाया)

के मूलधन एवं उन पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रत्याभूतियाँ दी जो कि मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए निवास स्थानों के निर्माण के लिए था। वर्ष 2013-14 के दौरान, राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ ₹ 958.51 करोड़ प्रारम्भिक शेष ₹ 1,697.89 करोड़ में जोड़ी गई तथा ₹ 135.96 करोड़ की प्रत्याभूतियाँ चुकाई गई। मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान को आसान करने के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त अनुदान का भुगतान कर रही है जो बजट से इतर उधार ही है।

1.10.6 सरकार के उधारों का विश्लेषण

राज्य सरकार का लोक ऋण वर्ष 2009-10 के ₹ 64,618 करोड़ से 35 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 87,330 करोड़ हो गया। यह पिछले वर्ष से 13 प्रतिशत बढ़ा। विस्तृत विवरण निम्न **तालिका 1.34** में दिया गया है:

तालिका 1.34: वर्ष 2009-14 के दौरान बकाया उधार

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
(अ) आन्तरिक ऋण					
बाजार कर्ज	30,611	35,448	38,551	44,209	51,384
कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक से कर्ज	2,609	3,323	3,947	4,553	5,422
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	23,209	22,656	21,518	20,767	20,022
अन्य संस्थाओं से कर्ज	714	470	441	444	3,753
योग (अ)	**57,143**	**61,897**	**64,457**	**69,973**	**80,581**
(ब) केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम					
गैर-योजनेत्तर कर्ज	73	67	60	55	49
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	7,237	7,163	7,052	6,789	6,690
अन्य योजनागत कर्ज	165	151	137	137	10
योग (ब)	**7,475**	**7,381**	**7,249**	**6,981**	**6,749**
कुल उधार (अ + ब)	**64,618**	**69,278**	**71,706**	**76,954**	**87,330**
वृद्धि दर	11.7	7.2	3.5	7.3	13.5

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2009-14 की अवधि में बकाया उधारों और आन्तरिक ऋण में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी प्रदर्शित हुई, जबकि इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण और अग्रिम में घटती हुई प्रवृत्ति दर्शित हुई। बाजार ऋण का अंश कुल उधारों से वर्ष 2009-10 के 47 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 59 प्रतिशत हो गया। बाजार कर्ज में पिछले वर्ष से 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शित हुई जो कि वर्ष 2010-14 के दौरान औसत वृद्धि दर 17 प्रतिशत से कुछ कम रही।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

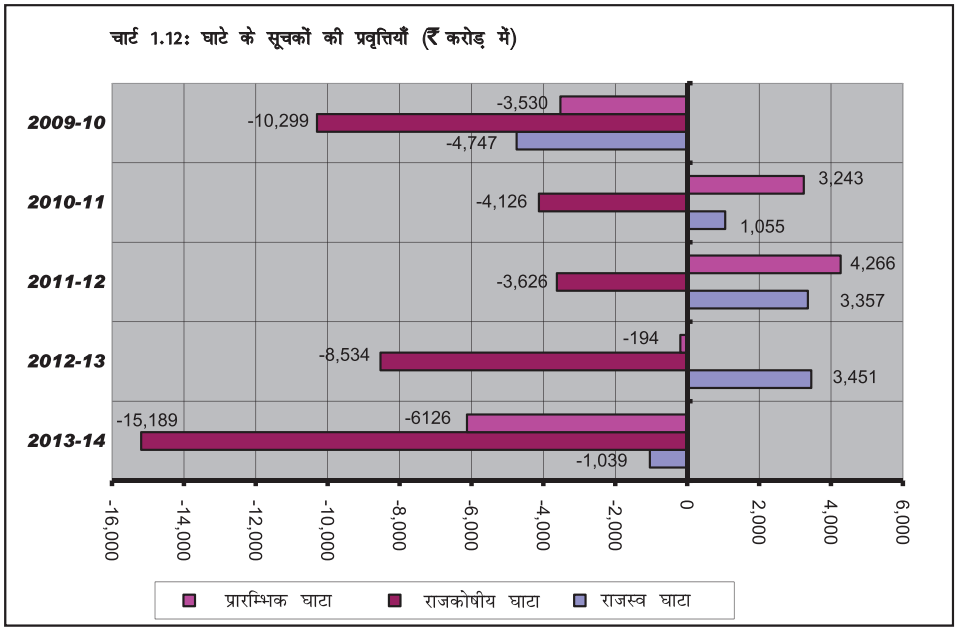
तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने -राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे एवं प्रारम्भिक घाटे, एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त प्रबन्धन में समग्र राजकोषीय

असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखों में घाटा, प्राप्तियों एवं व्यय के अन्तर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्ध के विवेक की सूचक होती है। आगे, वह तरीका जिससे घाटे को वित्त पोषित किया गया तथा संसाधनों को प्रयुक्त किया गया, राजकोषीय स्थिति के महत्वपूर्ण सूचक होता है। यह भाग इन घाटों को वित्त पोषित करने की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके और वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए एफआरबीएम अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत तय किये गये लक्ष्यों के समक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

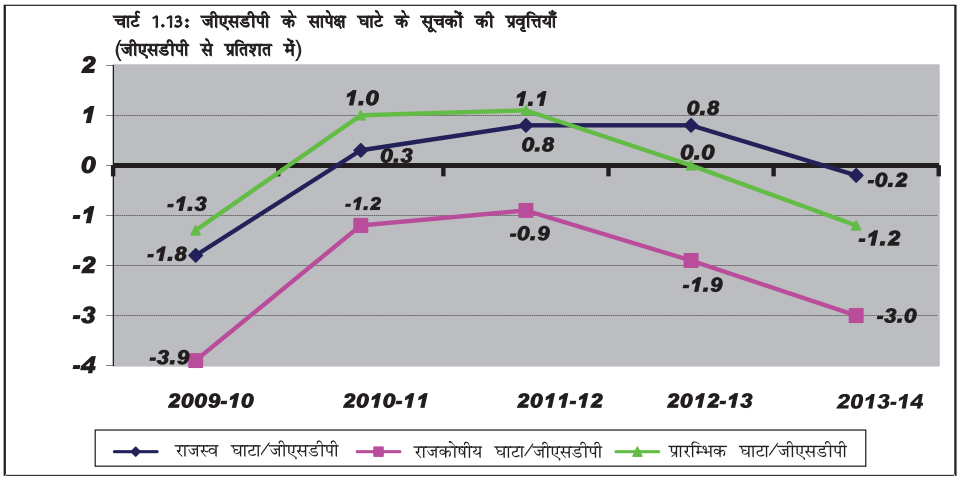
चार्ट 1.12 एवं 1.13, वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।

चार्ट 1.12: घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.13: जीएसडीपी के सापेक्ष घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियाँ (जीएसडीपी से प्रतिशत में)



1.11.1.1 राजस्व अधिशेष/घाटा

राजस्व अधिशेष, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अन्तर को प्रदर्शित करता है। राजस्व अधिशेष उधार कम करने में सहायता करता है।

वर्ष 2009-10 के राजस्व घाटे की स्थिति से राज्य, वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि में, राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 11.3 प्रतिशत की तुलना में राजस्व व्यय की वृद्धि दर 19 प्रतिशत थी। जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा, वर्ष 2013-14 में ₹ 1,039 करोड़ रह गया।

1.11.1.2 राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सामान्यत: सरकार की वृद्धिजन्य देयताओं या इसके अतिरिक्त उधारों को प्रदर्शित करता है। घाटे की पूर्ति या तो अतिरिक्त लोक ऋणों (आन्तरिक या बाह्य) अथवा लोक लेखे की अधिशेष निधियों से की जा सकती है। घाटे की प्रवृत्ति के साथ राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति मुख्य घटकों के सापेक्ष **तालिका 1.35** में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.35: राजकोषीय घाटा तथा उसके पैमाने

(₹ करोड़ में)

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा प्रतिशत के रूप में		
				जीएसडीपी	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	कुल व्यय
2009-10	35,506	45,805	10,299	3.87	29.0	22.5
2010-11	46,260	50,386	4,126	1.22	8.9	8.2
2011-12	58,256	61,882	3,626	0.90	6.2	5.9
2012-13	68,023	76,557	8,534	1.86	12.6	11.2
2013-14	74,797	89,986	15,189	2.96	20.3	16.9

स्रोत: वित्त लेखे

राजकोषीय घाटा, जीएसडीपी, गैर-ऋण प्राप्तियों तथा कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में 2011-12 में सबसे कम था, वर्ष 2009-10 में, भारत सरकार की सलाह के आधार पर, यह अनुपात राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाये जाने के कारण सर्वाधिक था। वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय घाटे में वृद्धि, मुख्यत: पूँजीगत व्यय एंव राजस्व घाटे में वृद्धि के कारण हुई।

राजकोषीय घाटे की जीएसडीपी से प्रतिशतता वर्ष 2012-13 में 1.86 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 2.96 प्रतिशत हो गयी, जो कि एफआरबीएम अधिनियम 2005 (संशोधित मार्च 2011 तथा सितम्बर 2011) में निर्धारित लक्ष्य 3 प्रतिशत के कुछ ही नीचे थी।

1.11.1.3 प्रारम्भिक घाटा

जब राजकोषीय घाटा सामान्यत: अतिरिक्त स्रोत की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है, तब ऐसे स्रोत्रों के एक हिस्से की ब्याज भुगतान के लिए आवश्यकता हो

सकती है। ब्याज भुगतान पुराने दायित्वों के व्यय को प्रदर्शित करते हैं और चालू आवंटित प्राथमिकताओं से स्वतंत्र होते हैं। असंतुलन की चालू प्रकृति देखते हुए, ऐसे भुगतानों को अलग करने और कुल असंतुलन में से कम करने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2009-10 से प्राथमिक घाटा, वर्ष 2010-11 से प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया। प्राथमिक अधिशेष 2011-12 तक संधारित किया गया था। प्राथमिक अधिशेष 2012-13 में पूँजीगत व्यय में वृद्धि हो जाने के कारण, प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया। प्राथमिक घाटा 2012-13 में ₹ 194 करोड़ से 2013-14 में भारी वृद्धि के साथ बढ़कर ₹ 6,126 करोड़ हो गया।

1.11.1.4 गैर-आयोजना राजस्व घाटा

गैर-आयोजना राजस्व घाटा, गैर-आयोजना राजस्व व्यय ओर राज्य के स्व-संसाधन के अन्तर को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान, गैर-आयोजना राजस्व घाटा ₹ 11,093 करोड़ (गैर-आयोजना राजस्व व्यय का 19 प्रतिशत) तेरहवें-वित्त आयोग द्वारा किये मानक आंकलन ₹ 334 करोड़ (गैर-आयोजना राजस्व व्यय का एक प्रतिशत) से अधिक था।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्त पोषण का स्वरूप

तालिका 1.36, वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ वर्ष 2008-09 से वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के प्रत्येक मद-वार निवल संवितरण/बहिर्गमन को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.36: राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्त पोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

		निवल संवितरण/बहिर्गमन					2013-14		
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
(अ)	**राजकोषीय घाटे का अपघटन**								
1	राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	827	4,747	(-) 1,055	(-) 3,357	(-) 3,451	74,471	75,510	1,039
2	निवल पूँजीगत व्यय	5,896	5,166	5,238	7,103	10,675	10	13,664	13,654
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	251	386	(-) 57	(-) 120	1,310	316	812	496
	योग (अ)	**6,974**	**10,299**	**4,126**	**3,626**	**8,534**	**74,797**	**89,986**	**15,189**
(ब)	**राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण का पैटर्न**								
1	बाजार से उधार	5,196	6,112	4,837	3,103	5,658	8,800	1,625	7,175
2	भारत सरकार से कर्ज	(-) 66	(-) 142	(-) 94	(-) 131	(-) 268	259	491	(-) 232
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी की गयी विशेष प्रत्याभूतियाँ	(-) 434	(-) 560	(-) 553	(-)1,138	(-) 751	496	1,241	(-) 745
4	मार्गोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय संस्थाओं से कर्जे	350	442	470	594	610	4,937	759	4,178
6	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	1,405	2,145	2,841	2,767	2,164	6,311	3,790	2,521
7	जमा तथा अग्रिम	347	1,274	885	1,096	3,416	89,436	89,857	(-) 421
8	उचन्त एवं विविध	39	(-) 14	(-) 49	12	(-) 3	91	79	12
9	प्रेषण	21	(-) 1	-	-	29	9,908	9,914	(-) 6
10	आरक्षित निधियाँ	(-) 11	(-)1,761	(-) 485	1,020	781	2,233	1,966	267
	योग (ब)	**6,847**	**7,495**	**7,852**	**7,323**	**11,636**	**1,22,471**	**1,09,722**	**12,749**
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/कमी (+) (अ-ब)	127	2,804	(-)3,726	(-)3,697	(-)3,102			2,440
12	कुल घाटा (ब+11)	6,974	10,299	4,126	3,626	8,534			15,189

*** 2013-14 के प्राप्तियों एवं संवितरणों के योग के प्रकरणों में लागू नहीं है क्योंकि यह अ+ब का संचयी है एवं वास्तविक नकद शेष का सूचक नहीं है।**
स्रोत: वित्त लेखे।

राजकोषीय घाटा, राज्य की उधारों की कुल मांग है एवं यह राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में, कर्जे एवं अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटे का अपघटन, राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को विभिन्न उधारों से पूरे करने की सीमा को प्रकट करता है।

तालिका 1.36 में देखा जा सकता है कि 2012-13 एवं 2013-14 में राजकोषीय घाटा, वृहद् निवल पूँजीगत व्यय के कारण था। राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का मुख्य भाग निरन्तर बाजार के उधारों से पोषित किया जाता रहा, परन्तु राजकोषीय घाटे के पोषण में इसका अंश वर्ष 2012-13 में 66 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2013-14 में 47 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 15,189 करोड़ के राजकोषीय घाटे की पूर्ति, मुख्यत: बाजार से उधार (₹ 7,175 करोड़), वित्तीय संस्थाओं से कर्जे (₹ 4,178 करोड़), अल्प बचत, प्रावधायी निधि इत्यादि (₹ 2,521 करोड़) एंव रोकड़ शेष (₹ 2,440 करोड़) जो कि राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी की गयी विशेष प्रत्याभूतियों (₹ 745 करोड़) एंव जमा तथा अग्रिम (₹ 421 करोड़) में वृद्धि से प्रतिसन्तुलित हुई।

बाजार से उधार एवं अल्प बचत, प्रावधायी निधि इत्यादि, भविष्य के ब्याज भार में वृद्धि करते हुए, गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 16 प्रतिशत एवं 9 प्रतिशत बढ़ गये।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्रारम्भिक घाटे का प्रारम्भिक राजस्व घाटे एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में संयोजन, राज्य वित्तीय घाटे की गुणवता को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात उस सीमा को प्रदर्शित करता है जिस तक उधार ली गयी निधियों का चालू उपभोग हेतु उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से निरन्तर उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार कम होता जा रहा है तथा उधार के एक भाग (राजकोषीय देयतायें) के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियां उपलब्ध नहीं हैं ।

प्रारम्भिक घाटे के विभाजन **(तालिका 1.37)** में घाटे की उस सीमा को दर्शाया गया है जो पूंजीगत व्यय, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार करने के लिए वांछित होगा, में वृद्धि के कारण है।

तालिका 1.37: प्रारम्भिक घाटा/अधिशेष-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ	प्रारम्भिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्रारम्भिक व्यय	गैर-ऋण प्राप्तियाँ एवं प्रारम्भिक राजस्व व्यय का अन्तर	प्रारम्भिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (3+4+5)**	**7 (2-3)**	**8 (2-6)**
2009-10	35,506	33,363	5,175	498	39,036	(+) 2,143	(-) 3,530
2010-11	46,260	37,504	5,251	262	43,017	(+) 8,756	(+) 3,243
2011-12	58,256	45,762	7,119	1,109	53,990	(+) 12,494	(+) 4,266
2012-13	68,023	55,122	10,683	2,412	68,217	(+) 12,901	(-) 194
2013-14	74,797	66,447	13,664	812	80,923	(+) 8,350	(-) 6,126

स्रोत: वित्त लेखे।

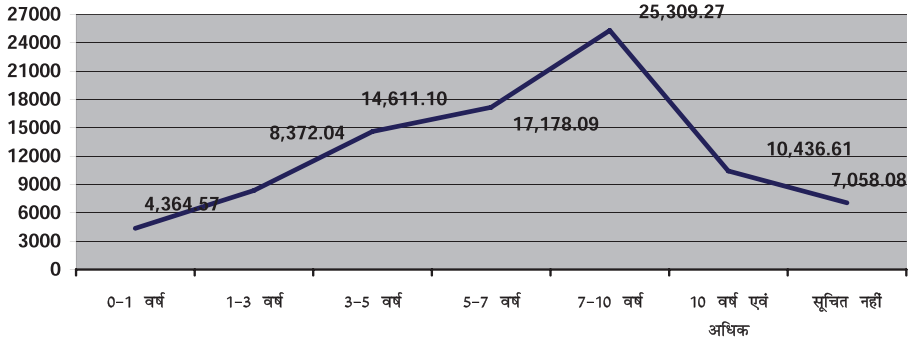
प्रारम्भिक व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश वर्ष 2009-10 में 13 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2013-14 में बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया। गत वर्ष की तुलना में प्रारम्भिक व्यय में ₹ 12,706 करोड़ की बढ़ोतरी के समक्ष गैर-ऋण प्राप्तियाँ ₹ 6,774 करोड़ बढ़ी। इसके परिणामस्वरूप, प्रारम्भिक घाटे में ₹ 5,932 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। प्रारम्भिक राजस्व व्यय एंव पूँजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 11,325 करोड (21 प्रतिशत) एंव ₹ 2,981 करोड (28 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि जमा तथा अग्रिमों में ₹ 1,600 करोड (66 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2013-14 के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्रारम्भिक व्यय से कम हुई जिसके परिणामस्वरूप प्रारम्भिक घाटा रहा।

1.12 ऋण प्रबन्धन

(i) ऋण प्रोफाइल

31 मार्च 2014 को राज्य ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार है:

चार्ट 1.14: राज्य ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल (₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.14 में दर्शाये गये आँकड़ों के अनुसार ₹ 7,058.08 करोड़ के ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हुई। 1-3 वर्षों (₹ 8,372.04 करोड़), 3-5 वर्षो (₹ 14,611.10 करोड़) और 5-7 वर्षो (₹ 17,178.09 करोड़) की अवधि में अदायगियों के समूह बनाये गये। ऋण परिपक्वता प्रोफाइल के रूप में, वर्ष के अन्त में कुल लोक ऋण (₹ 87,229.76 करोड़) का लगभग 29 प्रतिशत 7 से 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि से संबंधित था। सरकार को एक अच्छी सुविचारित ऋण अदायगी नीति बनानी होगी ताकि कोई अतिरिक्त उधार जिनकी परिपक्वता इन आलोच्य वर्षो में हो, नहीं लिये जायेगें।

(ii) ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता को एक समयावधि में ऋण-जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है और जो

उसके ऋणों को चुकाने की क्षमता को भी दर्शाता है। अत: ऋण की धारणीयता वचनबद्ध देयताओं को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों से प्राप्त प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि, ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के सादृश्य होनी चाहिए। ***तालिका 1.38*** में वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ तीन वर्षों की अवधि के लिए राज्य के ऋण की धारणीयता का विश्लेषण इन सूचकों के अनुसार किया गया है।

तालिका 1.38: ऋण की धारणीयता: सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण के धारणीयता के सूचक	2011-12	2012-13	2013-14
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा विस्तार + प्रारम्भिक घाटा)	15,684	6,626	(-) 707
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	500	(-) 4,908	(-) 6,655
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	(-) 617	2,908	3,038
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगी/राजस्व प्राप्ति प्रतिशत)	14	12	12

ऋण स्थिरीकरण

स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त यह है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा बशर्ते प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा परिमित रूप से ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि दर-ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर विस्तार), ऋण स्थिरीकरण की स्थिति यह बताती है यदि प्रारम्भिक घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण अन्तत: स्थिर रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ-साथ प्रारम्भिक घाटा ऋणात्मक होता है, तो ऋण-जीएसडीपी का अनुपात बढ़ेगा और यदि धनात्मक है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात में अन्तत: कमी आयेगी।

प्रमात्रा विस्तार एवं प्रारम्भिक घाटे का योग, 2011-13 के दौरान धनात्मक रहा तथा 2013-14 में ये परिवर्तित होकर ऋणात्मक हो गया जो कि यह इंगित करता है कि ऋण-जीएसडीपी अनुपात में भविष्य में वृद्धि होने की संभावना है।

गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता

ऋण की स्थिरता एवं इसकी धारणीयता के लिए राज्य की वृद्धिजन्य गैर-ऋण प्राप्तियाँ, वृद्धिजन्य ब्याज देयताओं एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि वृद्धिजन्य गैर-ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज देयताऐं तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

लगातार ऋणात्मक गैर-ऋण प्राप्तियाँ (संसाधन अन्तराल) ऋण की गैर-स्थिरीकरण को इंगित करती है जबकि संसाधन का धनात्मक अन्तर राज्य द्वारा ऋण का भार उठाने की क्षमता को सुदृढ़ बनाता है। तथापि, 2012-14 के दौरान संसाधन अन्तराल ऋणात्मक रहा ।

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज अदायगी) की कुल ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह ऋण प्राप्तियों की उस मात्रा, जिस तक ऋण प्राप्तियाँ ऋण मोचन में उपयोग में आयी है, को इंगित करता है।

ब्याज एवं अदायगी का प्रावधान करने के पश्चात उधारों से उपलब्ध निवल कोष वर्ष 2012-13 में ₹ 2,908 करोड से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 3,038 करोड़ हो गया।

ब्याज भार

ब्याज अदायगियों का राजस्व से अनुपात राज्य की ऋण के स्थिरीकरण को सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियाँ राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 12 प्रतिशत थीं।

1.13 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

वर्ष 2013-14 के अन्त तक, राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत रहा, जोकि राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 (वर्ष 2011 में संशोधित) द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत सीमा के मामूली अन्दर था। वर्ष 2013-14 में राज्य का बकाया ऋण, जीएसडीपी का 25.3 प्रतिशत था जोकि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 37.3 प्रतिशत के लक्ष्य के भी अन्दर रहा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010-14 के दौरान कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में विकासात्मक व्यय क्रमश: 66.4 से 73.4 प्रतिशत बढ़ा। इस अवधि में पूंजीगत व्यय अंश भी 10.4 से 15.2 प्रतिशत बढ़ा। तथापि, राज्य वित्त से संबंधित कुछ चिन्ता विषयक बिन्दु निम्न प्रकार है:

वर्ष 2012-13 में ₹ 3,451 करोड़ का राजस्व अधिशेष वर्ष 2013-14 में ₹ 1,039 करोड़ के राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया तथा प्रारम्भिक घाटा गत वर्ष के विरूद्ध भारी वृद्धि के साथ ₹ 5,932 करोड़ बढ़ा।

यद्यपि, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2009-10 के ₹ 35,385 करोड़ से वर्ष 2013-14 में भारी वृद्धि के साथ ₹ 74,471 करोड़ बढीं, राजस्व प्राप्तियों में कर

राजस्व का भाग वर्ष 2009-10 में 46.4 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2013-14 में 44.95 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के क्रमशः 29.8 प्रतिशत, 24.1 प्रतिशत एवं 17.4 प्रतिशत की तुलना में मात्र 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह मुख्यतः गत वर्ष के 20.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में कर राजस्व वृद्धि के 9.8 प्रतिशत रहने के कारण था। राज्य की कर उत्पलावकता वर्ष 2012-13 के 1.5 की तुलना में वर्ष 2013-14 में तेजी से गिरकर 0.8 हुई।

राज्य सरकार, बेहतर कर अनुपालना एवं तर्कसंगत उपभोक्ता प्रभार सुनिश्चित करते हुए कर एवं गैर-कर स्त्रोतों के द्वारा, अतिरिक्त संसाधन संधारित करने के उपाय खोज सकती है।

जबकि राज्य का समग्र राजस्व व्यय 2009-10 के ₹ 40,132 करोड़ से 88 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹ 75,510 करोड़ हो गया, इसी अवधि के दौरान इसका कुल व्यय में हिस्सा 87.6 प्रतिशत से गिरकर 83.9 प्रतिशत हो गया जो पूंजीगत परिव्यय पर हुये व्यय में सुधार को दर्शाता है। यह प्रसंगानुकूल पाया गया कि वर्ष 2013-14 में समाज कल्याण योजनायें, यथा वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं नवाचार योजना, में हुई वृद्धि ₹ 2,638 करोड़ (222 प्रतिशत) को शामिल करते हुये ₹ 12,048 करोड़ (19 प्रतिशत) की समग्र बढ़ोतरी हुई। यद्यपि, आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय वर्ष 2009-10 के ₹ 33,845 करोड़ के उस अवधि की तुलना में 2013-14 में ₹ 58,146 करोड़ समान रूप से बढ़ा एवं राजस्व व्यय का 77 प्रतिशत रहा। वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सहाय्य का व्यय 2009-10 के ₹ 27,179 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 44,408 करोड़ हो गया।

आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का प्रमुख हिस्सा वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतानों पर रहा जो कि सामान्यतः अनियंत्रणीय है। राज्य सरकार, आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के अन्य घटकों को सीमा में रखने के उचित उपाय खोज सकती है। यह अतिरिक्त संसाधन जुटाने के साथ साथ, राजस्व घाटे को राज्यवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तक सीमित रखने में सहायता करेगी।

वर्ष 2013-14 के दौरान, सरकार द्वारा ₹ 4,764.67 करोड़ सरकारी कम्पनियों; सांविधिक निगमों एवं सहकारी संस्थाओं आदि में निवेश किया गया। इसमें से, ₹ 4,103 करोड़, हानि उठा रहे सात सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों; सभी पाँच विद्युत कम्पनियों तथा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को सम्मिलित करते हुये, निवेशित किये गये। यद्यपि, गत पाँच वर्षों के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 15,588.37 करोड़ निवेशित किये गये, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में किये गये निवेश पर औसत प्रतिलाभ 0.1 से 0.4 प्रतिशत के मध्य रहा। दूसरी

ओर, सरकार ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान अपने उधारों पर 7.3 से 7.7 प्रतिशत का औसत ब्याज चुकाया।

राज्य सरकार के लिये यह परामर्श्य है कि निवेश किये गये धन पर उचित प्राप्ति सुनिश्चित करे, अन्यथा उच्च लागत पर ली गई उधार निधियाँ, कम वित्तीय प्रतिफल वाली परियोजनाओं में, लगातार निवेशित होती रहेंगी।

राज्य सरकार के 'रोकड शेष निवेश खाते' में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंत तक क्रमश: ₹ 12,128 करोड़ एवं ₹ 8,998 करोड़ निवेशित रहा। जबकि उधार उच्च दर पर हों तो कम ब्याज दर पर 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में बड़ी राशि रखने से वित्तीय उलझनें होंगी। 'रोकड़ शेष निवेश खातों' में, वित्तीय वर्षों के अन्त में एक माह के औसत अनुमानित व्यय से ज्यादा एवं अधिक, उच्च स्तरीय निवेश इंगित करता है कि उचित रोकड़ प्रबंधन की आवश्यकता है।

गत वर्षों के दौरान बकाया राजकोषीय दायित्वों में लगातार वृद्धि दृष्टिगत् हुई, जो वर्ष 2008-09 के अंत में ₹ 84,023 करोड़ से 2013-14 के अंत तक ₹ 1,29,910 करोड़ हो गई, यद्यपि यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 37.3 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर रही। बढ़ती हुयी ऋण मात्रा के परिणामस्वरूप ऋण चुकाने के दायित्व में वृद्धि हो रही है।

राज्य सरकार नये उधार लेने से पूर्व, उधारों पर नियंत्रण करने के उपाय खोज सकती है तथा जहाँ तक संभव हो उपलब्ध नकद शेष का उपयोग करने पर विचार कर सकती है।